भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 14 (वाणिज्यिक)

G
51.7232R
N5;1

दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 14 (वाणिज्यिक)

दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

Central Govt. Publications
Acc. No. RC 944997(2)
29/8/96
CAG
351.7232 R
N5;1

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		v – vi
	विहंगावलोकन		vii – xi
1.	प्रस्तावना	1	1
2.	उद्देश्य	2	2
3.	पूंजी संरचना	3	3
4.	संगठनात्मक ढांचा	4	3
5.	सामान्य बीमा कारबार	5	4
6.	अग्नि बीमा	6	6
7.	समुद्री बीमा	7	9
-	समुद्री नौभार बीमा	7.2	10
-	समुद्री पेटा बीमा	7.4	12
8.	विविध बीमा	8	14
-	मोटर बीमा	8.2	14
-	अन्य विविध बीमा	8.5	17
9.	जोखिम स्वीकार करना	9	24
10.	कारबार प्राप्त करना	10	24
11.	विदेशी प्रचालन	11	27
12.	पुनर्बीमा	12	31
13.	निवेश	13	38
14.	पूंजीगत व्यय	14	46
15.	जनशक्ति विश्लेषण	15	47
16.	ग्राहक सेवा	16	48
17.	लेखा	17	49

18.	आंतरिक लेखापरीक्षा	18	51
19.	प्रबन्धन सूचना प्रणाली	19	52
	अनुबंध		54 से 60

प्राक्कथन

लेखापरीक्षा बोर्ड नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के अध्यधीन, कम्पनियों तथा निगमों के निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में गठित किए जाते हैं।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पर यह प्रतिवेदन निम्नलिखित सदस्यों से बने लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था:-

1.	श्री सी.के. जोसफ	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड 13 दिसम्बर 1993 से 20 मार्च 1995
2.	श्री रमेश चन्द्र	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड 6 अप्रैल 1995 से अब तक।
3.	श्री आनन्द शंकर	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बम्बई 1 जून 1990 से 10 जुलाई 1994
4.	श्री नंद लाल	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बम्बई 10 जुलाई 1995 से अब तक।
5.	श्री एस. सत्यमूर्ति	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली 30 जून 1993 से अब तक।
6.	श्री एस. पार्थसारथी	अंशकालिक सदस्य सा.बी.नि.लि. के पूर्व महाप्रबन्धक।
7.	श्री एस. कृष्णमूर्ति	अंशकालिक सदस्य सा.बी.नि.लि. के पूर्व प्रबन्ध निदेशक।
8.	श्री आर.एन. घोष	निदेशक (वाणिज्यिक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 28 जून 1994 से अब तक।

अंशकालिक सदस्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहमति से भारत सरकार द्वारा (कम्पनी अथवा निगम का नियंत्रण करने वाले संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में) नियुक्त किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन को 24 अगस्त 1995 को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बीमा डिवीजन) के साथ हुई चर्चा को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा अंतिम रुप दिया गया था।

4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं।

प्रस्तावना

1. दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. बम्बई 1919 में स्थापित की गई थी जो 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद सामान्य बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों में एक हो गई। अन्य सहायक कम्पनियां नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि., दि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. हैं। तत्कालीन 21 बीमाकर्ता 1 जनवरी 1974 से कम्पनी में मिला लिए गए थे।

(पैरा 1.1)

2. **उद्देश्य**

राष्ट्रीयकरण के समय कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे:-

i) कम्पनी के सर्वोत्तम हित के लिए सामान्य बीमा कारबार के विकास को सुदृढ़ करके अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को बेहतर ढ़ग से पूरा करना और

ii) यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक प्रणाली के प्रचालन का परिणाम धन के केन्द्रीयकरण से आम अहित में न हो।

(पैरा 2.1)

3. **पूंजी संरचना**

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 55 करोड़ रु. है जो प्रत्येक 5 रु. के 10 करोड़ इक्विटी शेयर और प्रत्येक 100 रु. के 5 लाख अधिमान शेयरों में विभाजित है।

31 मार्च 1994 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 40 करोड़ रु. थीं जिसमें प्रत्येक 5 रु. के 8 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे।

(पैरा 3)

4. **संगठनात्मक ढांचा**

कम्पनी के चार टीयर संगठनात्मक ढांचा है जिसमें प्रधान कार्यालय, 21 क्षेत्रीय कार्यालय, 315 डिविजनल कार्यालय और 833 शाखा कार्यालय शामिल है.। पर्यवेक्षण कार्य मुहैया करने वाले क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालयों के साथ डिविजनल कार्यालय और शाखा कार्यालय प्रचालन यूनिटें हैं। प्रबन्धन में न्यूनतम चार और अधिकतम ग्यारह निदेशकों का निदेशक बोर्ड होता है।

(पैरा 4.1)

5. **सामान्य बीमा कारोबार**

निम्न प्रकार के सामान्य बीमा कारोबार कम्पनी द्वारा किया जाता है।

i) अग्नि बीमा

ii) समुद्री बीमा जिसमें समुद्री नौभार और समुद्री पेटा शामिल है।

iii) विविध बीमा जिसमें मोटर बीमा, इंजीनियरी ,व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी बीमा, मवेशी बीमा आदि शामिल हैं।

जबकि कुछ प्रकार के बीमा की प्रीमीयम दरें टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियत टैरिफ द्वारा पूरी की जाती हैं परन्तु कतिपय कारोबार, अधिकांशत: विविध, गैर टैरिफ वाली हैं।

1993-94 के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम 1362.63 करोड़ रु. था। कम्पनी का बाजार शेयर वर्षों से 30 प्रतिशत के बीच रहा फिर भी कम्पनी ने बाजार का नेतृत्व बनाए रखा।

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान परिणाम समग्र बीमांकन लाभ दर्शा रहे थे।

जबकि 1989-90 और 1990-91 में बीमांकन हानियां थीं।

(पैरा 5.1, 5.2.2 और 5.2.3)

6. **अग्नि बीमा**

(i) अग्नि बीमा कारोबार में 1989-90 से 1993-94 तक के सभी वर्षों में लाभ हुआ।

(ii) कम्पनी का सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम समग्र उद्योग की अपेक्षा सामान्यत: तीव्र गति से बढ़ी।

(iii) निम्न प्रकार की चूकें ध्यान में आई परिणामत: राजस्व की हानि हुई;

(क) इंजीनियरों द्वारा अवधारित टैरिफ दरें प्रीमियम की वूसली के लिए लागू नहीं की गई थीं।

(ख) टैरिफ प्रावधानों के गैरनुपालन के कारण बीमांकन में दोष।

(पैरा 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5)

7. **समुद्री बीमा**

(क) समुद्री नौभार विभाग के 1989-90 से 1993-94 तक के सभी वर्षों में लाभ हुआ।

(ख) ऐसे उदाहरण ध्यान में आए जहां समुद्री पालिसियों में बट्टा अनियमित रुप से संस्वीकृत किए गए थे और समुद्री दावों के निपटारे के बाद प्रतिस्थापन अधिकार उचित रुप से लागू नहीं किए गए थे।

(ग) समुद्री पेटा कारबार जिसमें 1991-92 तक हानियां हुई, ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान सीमान्त लाभ दर्शाया।

15. लेखा

निधियों का अन्तरण

डिवीजन से मुख्यालय को निधियों का अन्तरण करते समय कम्पनी ने 14 से 701 दिनों तक के विलम्ब के बाद क्रेडिटों के लिए @ 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के लिए 25 मामलों में बैंको से 34.96 लाख रु. का दावा किया परन्तु अभी तक (अगस्त 1995) केवल 5.37 लाख रु. वसूल कर सकी।

(पैरा 17.1)

16. आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम को अधिकारी-उन्मुख बनाने के लिए सा.बी.नि. द्वारा गठित समिति की सिफारिश का कम्पनी द्वारा अभी कार्यान्वयन किया जाना है।

(पैरा 18.1)

विकास अधिकारियों के लिए बनाई गई प्रोत्साहन योजना ऐसे मामलों जहां कारोबार लाभप्रद नहीं है, में भी लाभ प्रोत्साहन अर्जित करने से उन्हें अस्वीकृत नहीं करती है।

चूंकि अधिकांश एजेन्ट विकास अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करते है एजेन्टों द्वारा अधिप्राप्त कारोबार पर उन्हें कमीशन और विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलता है।

(पैरा 10.1 और 10.2.2)

11. विदेशी प्रचालन

(i) कम्पनी ने शाखाओं/एजेन्सियों/सहयोगी कम्पनियों जैसा कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व किया जाता था, के माध्यम से सीधा कारोबार किया।

(ii) यद्यपि चार शाखाओं और दो एजेन्सियों का बीमा कारोबार लगातार हानि दर्शाती थी परन्तु प्रचालन जारी रखने के लिए अनुमत किए गए थे।

(पैरा 11.1 और 11.3)

12. पुनर्बीमा

(i) कम्पनी का उद्देश्य निवल प्रतिधारण प्रीमियम को बढ़ाना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना है।

(ii) 1989-90 को छोड़कर पुनर्बीमा संव्यवहारों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की क्षति हुई।

(iii) लाभप्रदता अथवा विभिन्न दलालों से अन्यथा प्राप्त कारोबार को दशनि वाले आंकड़े नहीं रखे गए थे।

(पैरा 12.2, 12.4 और 12.5.5)

13. निवेश

कम्पनी के प्रोदभवन का निवेश सरकार के दिशा निर्देशों और बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

समाजोन्मुख क्षेत्र में निर्धारित 70 प्रतिशत को विरले अवसरों पर ही प्राप्त किया गया। परिणामस्वरूप बाजार क्षेत्र में निवेश विनिर्दिष्ट 30 प्रतिशत से बढ़ गया।

(पैरा 13.1 और 13.6)

14. ग्राहक सेवा

31 मार्च 1994 को 11524.39 लाख रु. के 15644 दावे पांच वर्षों से अधिक समय से निपटारे के लिए पड़े थे।

(पैरा 16)

(घ) दर निर्धारण और अतिरिक्त प्रीमीयम की वसूली में टी ए सी को आवेदन प्रस्तुत करने में पर्याप्त विलम्ब हुआ था।

(पैरा 7.2.1, 7.2.2, 7.3,.7.4.1 और 7.4.3)

8. **विविध बीमा**

(क) **मोटर बीमा**

वर्ष 1989-90 और 1993-94 के बीच सभी वर्षों में मोटर बीमा में कम्पनी को हानि हुई। 1993-94 में यह हानि 81.79 करोड़ रु. थी। तृतीय पक्ष दावों के अन्तर्गत भारी हानियां थी।

(ख) **अन्य विविध बीमा**

कारोबार में लाभ हुआ सिवाए वर्ष 1989-90 के जबकि 1.03 करोड़ रु. की हानि हुई थी।

(i) **कामगार क्षतिपूर्ति पालिसी**

प्रारम्भिक रूप से पालिसी के अन्तर्गत बीमाकृत राशि अनुमानित मजदूरी है जों प्रदत्त वास्तविक मजदूरी के आधार पर पालिसी की समाप्ति पर समायोजन के अध्यधीन है। तथापि इस प्रकार के समायोजन कभी कभी किए गए थे।

(पैरा 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1 और 8.9)

(ii) **ग्रामीण बीमा**

मवेशी बीमा

इसमें आई आर डी पी और गैर-आई आर डी पी योजनाएं शामिल है। इस कारबार के कार्यान्वयन में प्रणाली की चूकें ज्ञात हुई।

(पैरा 8.10.2)

9. **जोखिम स्वीकार करना**

1.18 करोड़ रु. के दावे निपटाए गए थे जबकि पूरा प्रीमियम संग्रहीत नहीं किया गया था और प्रीमियम का डेबिट किया गया तो बैंक गारंटी सीमा से बढ़ गया। कुछ मामलों में प्रीमियम का निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद संग्रहण किया गया था।

(पैरा 9)

10. **कारोबार की अधिप्राप्ति**

विकास अधिकारी जो कर्मचारी हैं और एजेन्टों के माध्यम से जिन्हें एजेन्सी कमीशन अदा किया जाता है, के माध्यम से कम्पनी द्वारा बीमा कारोबार किया जाता है।

I. प्रस्तावना

1.1 दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. को केवल सामान्य बीमा कारोबार करने के लिए जुलाई 1919 में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रुप में निगमित किया गया था। यद्यपि जीवन बीमा कारबार भी 1929 के दौरान कम्पनी द्वारा शुरु किया गया था परन्तु यह भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) द्वारा जनवरी 1956 में ले लिया गया था। सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के पारित (जनवरी 1973) होने के परिणामस्वरुप सम्पूर्ण बीमा कारबार इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिकार में ले लिया गया था और भारतीय सामान्य बीमा निगम (सा.बी.नि.) नाम की नियंत्रक कम्पनी अधीक्षण, नियंत्रण और देश में सामान्य बीमा का कारबार करने के प्रयोजन के लिए बनाई (नवम्बर 1972) गई। दि न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी लि. (एन आई सी) 1 जनवरी 1973 से सा.बी.नि. की चौथी सहायक कम्पनी बन गई, अन्य सहायक कम्पनियां नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि., यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेस कम्पनी लि. और ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि. हैं।

सरकार द्वारा निर्मित न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. (समामेलन) स्कीम 1973 के अनुपालन में तत्कालीन इक्कीस बीमाकर्ता जैसा कि अनुबंध I में दिया गया है, एक जनवरी 1974 में कम्पनी में समामेलित किए गए थे।

1.2 भारतीय बीमा उद्योग के आर्थिक संकेतक

अर्थव्यवस्था में बीमा उद्योग के महत्व का प्रतिनिधित्व दो संकेतकों, बीमा व्यापन और बीमा घनत्व द्वारा किया जाता है। बीमा व्यापन सकल देशी उत्पाद के लिए प्रीमियम आय का अनुपात है। यह न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बीमा उद्योग के महत्व को दर्शाता है बल्कि समग्र रुप से अर्थव्यवस्था के संबंध में अर्थव्यवस्था की इस शाखा का विकास भी है। यदि इस संकेतक में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ होता है कि बीमा उद्योग देश के आर्थिक क्रिया कलाप की अपेक्षा द्रुत गति से बढ़ रहा है। दूसरी ओर बीमाघनत्व बीमा पर प्रति व्यक्ति व्यय है और देश में इसकी जन संख्या के संबंध में समग्र प्रीमियम आय व्यक्त करता है। विकसित अर्थ व्यवस्थाएं विकासशील और कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक बीमा घनत्व दर्शाती है। 1989-93 के पांच वर्षों के लिए समग्र रुप से भारतीय बीमा उद्योग का बीमा व्यापन और बीमाघनत्व तथा विकासशील बाजार नीचे दर्शाए गए है:-

देश	बीमा व्यापन					बीमा घनत्व				
	1989	1990	1991	1992	1993	1989	1990	1991	1992	1993
1. ब्राजील	0.91	1.20	1.20	3.70	1.06	7.50	14.64	24.10	34.40	31.30
2. मिश्र	0.84	0.73	0.70	0.80	0.58	9.30	5.65	4.00	4.40	4.60
3. जर्मनी	2.48	3.53	3.50	3.50	4.07	453.70	899.76	794.60	805.80	864.40
4. यू.के.	3.41	3.43	3.60	4.00	4.19	485.20	629.51	681.20	627.00	683.20
5. भारत	0.49	0.56	0.60	0.50	0.56	1.60	1.87	1.50	1.70	1.60
6. इंडोनेशिया	0.59	0.68	0.70	0.70	0.66	3.10	3.93	4.00	4.50	5.10
7. जापान	2.41	2.37	2.30	2.20	2.70	533.00	607.04	663.50	673.50	937.90
8. मेक्सिको	0.83	0.73	0.80	1.00	1.06	18.20	19.31	25.90	35.90	42.00
9. फिलीपाइन्स	0.73	0.80	0.90	0.90	0.86	5.20	4.98	6.30	7.70	7.10
10. थाईलैंड	0.73	0.83	0.90	0.90	1.23	8.80	11.82	14.10	17.10	24.20
11. चीन	0.62	0.67	0.70	0.70	0.68	1.90	1.90	2.20	2.50	3.10
12. दक्षिण कोरिया	1.85	2.12	2.30	2.50	2.55	91.60	117.10	144.00	167.90	190.90
13. इस्राइल	4.03	3.62	3.20	3.60	4.08	373.20	391.34	379.20	400.40	504.80
14. ताईवान	4.15	1.32	1.40	1.50	1.62	92.70	102.01	121.80	149.50	168.00

जबकि अधिकांश यूरोपिय देश और जापान की गैर जीवन बीमा प्रीमियम पर विश्व बाजार में उच्चतर भागीदारी थी। चीन, दक्षिण कोरिया, इज्राइल और ताईवान जैसे देश भी एशियन देशों में प्रीमियम प्राप्ति में भारतीय बाजार से आगे थे। प्रबन्धन ने इस प्रवृत्ति का कारण (अक्तूबर 1993) सामान्य बीमा के प्रति जागरुकता का अभाव तथा बीमाकृत की सांविधिक अथवा वाणिज्यिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बीमा सुरक्षा लिए जाने की प्रवृत्ति बताया।

2. उद्देश्य

2.1 राष्ट्रीयकरण के समय कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे:-

i) समुदाय के सर्वोत्तम हित के लिए सामान्य बीमा कारोबार का विकास करके अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के बेहतर ढंग से पूरा करना,

ii) यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक प्रणाली के प्रचालन से सामान्य अहित से धन का केन्द्रीकरण न हो।

कम्पनी ने इन व्यापक उद्देश्यों को निगमित लक्ष्य और निगमित उद्दश्यों में रूपान्तरित किया।

2.2 निगमित लक्ष्य/उद्देश्य निम्नवत् थे:-

(i) प्रचालन के लिए वित्तीय क्षमता जोड़कर सुदृढ़ लाइन पर प्रचालन जारी रखना और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना,

(ii) ग्राहकों को प्रभावी, दक्ष और अर्थपूर्ण सेवा मुहैया कराना,

(iii) बीमा के संदेश को यथा सम्भव फैलाना,

(iv) कारबार विकास की योजना और मानीटरन इस ढंग से करना जो श्रेणीवार विकास उपयुक्त क्षेत्रीय वितरण और प्रभावशाली सेक्टरवार विस्तार पूरा करे,

(v) समय मान पर सभी स्तर पर प्रभावी और दक्ष जनशक्ति का पूरक तैयार करना,

(vi) देश के लिए मूल्यांकन विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी कारबार में महत्वपूर्ण विकास के लिए योजना बनाना,

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाशील, व्यवहार्य पुनर्बीमा करना, निवल रिटेन्ड प्रीमियम बढ़ाना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाना, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना, और

(viii) प्रचालन से उपलब्ध बेशी निधि का अधिक उपयोग करना, लागू दिशा निर्देशों के ढांचे के अन्दर अर्जन में वृद्धि करना।

3. पूंजी संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 55 करोड़ रु. है जिसमें प्रत्येक 5 रु. के 10 करोड़ इक्विटी शेयर और प्रत्येक 100 रु. के 5 लाख अधिमान शेयर शामिल हैं। 31 मार्च 1994 को प्रदत्त इक्विटी पूंजी 40 करोड़ रु. थी जिसमें शेयर और सामान्य आरक्षित निधियों पर प्रीमियम पूंजीकरण द्वारा 1976 और 1990 में जारी बोनस शेयर (36.15 करोड़ रु.) सहित प्रत्येक 5 रु. के 8 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे।

4. संगठनात्मक ढांचा

4.1 कम्पनी का समग्र नियंत्रण और प्रबन्धन निदेशक बोर्ड में निहित है। कम्पनी का संगम अनुच्छेद केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यक्ष सा.बी.नि. द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम चार और अधिकतम ग्यारह निदेशकों के बोर्ड का प्रावधान है। यद्यपि संगम अनुच्छेद यह अनुबद्ध नहीं करता कि कम्पनी का महाप्रबन्धक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, सामान्यत: सभी महाप्रबन्धक निदेशक के रूप मे नियुक्त किए जाते हैं। केन्द्र सरकार और सा.बी.नि. भी प्रत्येक एक नामित द्वारा बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कम्पनी का संगठनात्मक ढांचा अनुबंध II में दिया गया है।

4.2 कम्पनी के पास चार स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है जिसमें प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय डिवीजनल कार्यालय और शाखा कार्यालय शामिल हैं 31 मार्च 1994 को कम्पनी के पास 21 क्षेत्रीय कार्यालय, 315 डिविजनल कार्यालय और 833 शाखा कार्यालय थे जो पूरे भारत में फैले थे। क्षेत्रीय कार्यालय अपने नियंत्रण के अन्तर्गत मंडलीय और शाखा कार्यालयों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मानीटरन मे प्रधान कार्यालय की तरह काम करते हैं। मंडलीय कार्यालय और शाखा कार्यालय प्रचालन यूनिटै हैं। जहां बीमांकन और दावों का निपटान किया जाता है। क्षेत्रीय, मंडलीय और शाखा कार्यालय खोलने के लिए समय समय पर सी.बी.नि. द्वारा न्यूनतम प्रीमियम प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं।

5. सामान्य बीमा कारोबार

5.1 निम्नलिखित प्रकार के सामान्य बीमा कारबार कम्पनी द्वारा किए गए थे।

(i) अग्नि बीमा

(ii) समुद्री पेटा और समुद्री नौभार सहित समुद्री बीमा

(iii) विविध बीमा जिसमें मोटर बीमा, इंजीनियरी बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी बीमा और मवेशी बीमा आदि शामिल हैं। जबकि अग्नि, समुद्री, एरेक्शन आल रिस्क, मोटर, कामगार क्षतिपूर्ति और चाय बागान बीमा टैरिफ सलाहकार समिति (टै.स.स.) द्वारा नियत टैरिफ द्वारा शासित होते हैं अन्य कारबार अधिकांशत: विविध बीमा के अन्तर्गत गैर टैरिफ वाली दरें हैं। 1 अप्रैल 1994 से समुद्री नौभार बीमा कारबार गैर टैरिफ वाला हो गया।

5.2 कारोबार की वृद्धि

5.2.1 कम्पनी की निगमित योजना (दिसम्बर 1986) में प्रत्येक वर्ष 19 प्रतिशत की दर पर वृद्धि विनिर्दिष्ट की गई थी ताकि 1989 के अन्त तक 684.00 करोड़ रु. की प्रीमियम आय प्राप्त की जा सके। वर्ष 1992-93 से 1996-97 की निगमित योजना में 18% की वार्षिक वृद्धि दर की कल्पना की गई थी। इसके प्रति 1989-90 से 1993-94 तक के दौरान वृद्धि दर 15.96 प्रतिशत और 29.17 प्रतिशत के बीच थी और सकल प्रीमियम आय 1989-90 तक 648.12 करोड़ रु. और 1993-94 तक 1362.63 करोड़ रु. के स्तर पर पहुंच गई। एक प्रश्न के जबाव (अगस्त 1995) में क्या मंत्रालय ने बीमा कम्पनियों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, लेखापरीक्षा बोर्ड को सूचना दी गई थी कि वहां पर ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी।

5.2.2 1993-94 तक गत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 648.13 करोड़ रु. (1989-90) और 1362.63 करोड़ रु. (1993-94) के बीच था जबकि समस्त उद्योग का 2174.50 करोड़ रु. (1989-90) और 4449.44 करोड़ रु. के बीच था। जबकि कम्पनी ने बाजार का नेतृत्व बनाए रखा परन्तु इसके प्रीमियम का बाजार शेयर पूरी अवधि तक 30 प्रतिशत के आस पास रहा।

5.2.3 निम्नलिखित सारणी में गत पांच वर्षों के लिए भारत में कम्पनी की कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय, सकल प्रत्यक्ष दावे और लाभप्रदत्ता दर्शाई गई है -

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्रीमियम	कमीशन	दावे	प्रबन्ध पर व्यय	आरक्षण भार	शेष
1989-90	648.13	14.18	469.59	148.47	69.02	(-)53.13
1990-91	837.22	17.54	586.32	168.55	106.00	(-)41.19
1991-92	983.02	20.06	646.19	196.50	92.68	27.59
1992-93	1175.06	22.86	666.54	215.59	119.89	150.18
1993-94	1362.63	26.35	782.35	240.02	102.53	211.38

5.2.4 गत पांच वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त कारोबार 68 प्रतिशत और 69 प्रतिशत के बीच रहा और लोक क्षेत्र के ग्राहकों के संबंध में बीमा सुरक्षा 1989-90 में 14.8 प्रतिशत से 1993-94 में 16.3 के बीच था। प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 1993) कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व टाटा का प्रतिष्ठान होने के कारण कम्पनी का अधिकतर कारोबार बंधे हुए और संगठित क्षेत्रों के साथ था। इसके अतिरिक्त लोक क्षेत्रों द्वारा बीमा को दी गई कम प्राथमिकता, उनके द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्य की समीक्षा न किया जाना और प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर बीमा मूल्य के मूल्यांकन का अभाव, मितव्ययता के उपाय आदि में लोक क्षेत्र की यूनिटों के संबंध में न्यून बीमा सुरक्षा के रुप में भी सुधार किया गया।

5.3 टैरिफ सलाहकार समिति (टै.स.स.)

टै.स.स. एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन बीमा अधिनियम 1938 के अधीन किया गया। अधिनियम में टै.स.स. को उन नियमों, विनियमों, दरों, लाभों, शर्तों के निर्धारण की शक्ति दी गई है जिनका किन्हीं जोखिमों के संबंध में दिया जा सकता है जो टै.स.स. उसे विनियमित करने और उनपर नियंत्रण रखने के लिए उचित समझती है। टै.स.स. द्वारा निर्धारित दरें सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होती हैं और इसका उल्लंघन अधिनियम की धारा 64 के अधीन टैरिफ का उल्लंघन माना जाता है।

तदनुसार टै.स.स. ने अग्नि बीमा, समुद्री नौभार बीमा, मोटर बीमा, इंजीनियरी कारोबार बीमा और कामगार क्षतिपूर्ति बीमा के लिए टैरिफ निर्धारित किया और अन्य सभी बीमा को टैरिफ के अधीन नहीं किया।

कुछ मामलों में कम्पनियों के बीच विपणन समझौता हुआ जिसमें जोखिमों, शर्तों आदि को शामिल करने के लिए निदेशक सिद्धान्त निर्धारित किए गए।

6. अग्नि बीमा

6.1 निम्नलिखित सारणी में 1993-94 तक पांच वर्षों के लिए अग्नि कारोबार के संबंध में प्रीमियम आय की अनुमानित वृद्धि, अर्जित वास्तविक प्रीमियम और निवल लाभ/हानि दर्शाई गई है -

(लाख रु. में)

वर्ष	निगमित योजना के अनुसार सकल प्रीमियम का अनुभव	बजटीय प्रीमियम	वास्तविक सकल प्रीमियम	सकल प्रत्यक्ष दावे	एजेन्सी का कमीशन	एम.जी.टी. का व्यय	आरक्षण भार	निवल लाभ(+)/ हानि (-)
1989-90	17700	15900	16952	6965	82	5248	2022	2635
				(41.1)	(0.5)	(31.0)	(11.9)	(15.5)
1990-91	*	19500	20727	10842	98	5067	1887	2833
				(52.3)	(0.5)	(24.4)	(9.1)	(13.7)
1991-92	*	26100	25448	12402	112	6598	2361	3975
				(48.7)	(0.4)	(25.93)	(9.3)	(15.62)
1992-93	31700	32301	31712	11558	136	7584	3132	9302
				(36.4)	(0.4)	(24.0)	(9.9)	(29.3)
1993-94	38902	38000	37410	9309	156	8282	2849	16814
				(24.9)	(0.4)	(22.14)	(7.6)	(44.94)

(कोष्ठक के भीतर के आंकड़े सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम की प्रतिशता के द्योतक हैं)

6.2 1993-94 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान अग्नि प्रीमियम में कम्पनी की दर में वृद्धि उद्योग की तुलना में अधिक थी जैसाकि नीचे सारणी में दिया गया है -

वर्ष	विपणन वृद्धि		न्यू इंडिया प्रीमियम में वृद्धि	
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (करोड़ रु.में)	प्रतिशतता वृद्धि	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (करोड़ रु.में)	प्रतिशतता वृद्धि
1989-90	568.24	26.8	169.52	31.3
1990-91	658.58	15.9	207.27	22.4
1991-92	795.08	20.7	254.48	22.7
1992-93	932.12	17.2	317.12	24.6
1993-94	1096.20	17.6	374.10	17.9

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 1993) कि अग्नि बीमा में वृद्धि की दर समग्र रुप से मुख्यत: औद्योगिक वृद्धि दर पर निर्भर थी।

6.3 **जोखिमों का बीमांकन**

निर्धारित मुद्रा सीमा से अधिक वाले सभी जोखिमों का कम्पनी के इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण किया जाना है जो विशेष प्रकार के जोखिमों के लिए प्रभार्य प्रीमियम दरें विनिर्दिष्ट करेगा। दर निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण के लिए अपेक्षित जोखिमों की संख्या की ओर जब मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया तो मंत्रालय ने ऐसे योग्य इंजीनियरों की कमी बताई जिन्हें सही दर निर्धारित करने के लिए जोखिमों का प्रत्यक्ष निरीक्षण आवश्यक था। जिन मामलों में कम्पनी के इंजीनियरों द्वारा जोखिमों का निरीक्षण किया गया था उन मामलों में उनके द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर यद्यपि निर्माण, व्यवसाय और विषयवस्तु के स्वरुप के आधार पर विशेष ब्लाकों के लिए टैरिफ के अनुसार थी, लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि चार मामलों में (अहमदनगर 2 मामलो, अहमदाबाद और बंगलूर प्रत्येक में 1 मामले) परिचालन कार्यालयों ने सही दरें लागू नहीं की जिसके परिणामस्वरुप 15.89 लाख रु. प्रीमियम की हानि हुई जिनमें से कम्पनी मात्र 9.17 लाख रु. की वसूली कर सकी।

टैरिफ में यह प्रावधान है कि पालिसी के अधीन बीमाकृत विभिन्न मदों के प्रति बीमा की सही राशि बीमा आरम्भ होने या नवीकरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर बीमाकर्ता को सूचित करना चाहिए। एक

मामले में (1 अप्रैल 1990 को पालिसी जारी की गई) कम्पनी को 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्लाकवार विवरण के अभाव में अधिकतम दरें प्रभारित करने में चूक के कारण 24.70 लाख रु. प्रीमियम छोड़ना पड़ा। मंत्रालय का यह उत्तर कि बीमाकर्ता ने मई 1990 में विवरण प्रस्तुत किया था, सही नहीं पाया गया क्योंकि उक्त पत्र में ब्लाकवार विवरण नहीं था जैसाकि टैरिफ प्रावधानों में अपेक्षित है।

6.4 "बहु अधिभोग" के अधीन जोखिम के लिए प्रभार्य दर जब तक पूर्णकालिक पार्टी वाला द्वारा उच्चतर निर्धार्य ब्लाक से संचारित अंश को अलग नहीं कर दिया जाता तब तक उच्चतर निर्धारित अंश पर लागू दर होगी। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से यह ध्यान में आया कि दो मामलों (ब्रह्मपुर और कलकत्ता डी ओ एक्स) में प्रभाग ने "स्वभावतः" दरें प्रभारित की यद्यपि न्यूनतर निर्धार्य ब्लाक जोखिमों के उच्चतर निर्धार्य अंश को सूचित कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप 13.74 लाख रु. तक प्रीमियम की हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि कम्पनी द्वारा प्रयासों के बावजूद बीमाकृत ने भुगतान से इन्कार कर दिया।

6.5 जोखिम की विभिन्न मदों के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रीमियम दर के लिए अग्नि टैरिफ में व्यवस्था है। टैरिफ के प्रावधानों का अनुपालन न करने तथा गलत टैरिफ दर लागू करने के कारण 1987-88 से 1990-91 के दौरान सात मंडलीय कार्यालयों में कम्पनी को कुल 33.49 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई (देखें अनुबन्ध III)। इनमें से कम्पनी ने 13.09 लाख रु. की वसूली की।

6.6 बीमा लाभ की हानि

बीमांकन कार्यालयों द्वारा जारी परिणामिक हानि (अग्नि) पालिसी की समीक्षा से यह ध्यान में आया कि या तो आधार दर की गणना गलत की गई थी अथवा टैरिफ प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था, परिणामतः तीन मामलों में कम्पनी को 51.37 लाख रु. तक के राजस्व को छोड़ना पडा। जिसमें से एक मामले में 25.37 लाख रुपए की वसूली हुई।

6.7 बाहरी जोखिम

मानक अग्नि नीतियों में इसके क्षेत्र से कतिपय ज़ोखिमों को अलग रखा गया था। इनमें से कुछ जोखिम अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके एक समर्थन द्वारा पालिसी में शामिल कर लिया गया था। भूकम्प, बाढ़, स्वतः प्रवर्तित दहन, आतंकवाद जैसे जोखिम "विशेष जोखिम" या "बाहरी जोखिम" के अन्तर्गत आते हैं। लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि चार मामलों में बाहरी जोखिमों के लिए प्रीमियम टैरिफ के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप 7.81 लाख रु. के प्रीमियम की हानि हुई। कम्पनी ने बताया कि 4.50 लाख रु. की वसूली की जा चुकी है (अगस्त 1995)।

लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा यह पूछे जाने पर (अगस्त 1995) कि कम्पनी में क्या कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है ताकि पालिसी के प्रचलन के दौरान इस प्रकार के बीमांकन चूकों का पता लगाया जा सके

मंत्रालय ने बताया कि कम्पनी में आन्तरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त अन्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

6.8 अमानक दावे

किसी पालिसी के अधीन आने वाला दावा जो हानि के निर्धारकों की रिपोर्ट द्वारा समर्थित हो, "मानक दावा" के रुप में निपटाया जाता है। दूसरी ओर किसी दावा को अमानक दावा तब माना जाता है जब वह पालिसी के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आता या हानि के लिए समर्थित साक्ष्य का अभाव होता है। "अनुग्रह पूर्वक भुगतान" दावा वह होता है जहां बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए कोई कानूनी देयता न हो। तथापि किसी दावे को अनुग्रहपूर्वक भुगतान के आधार पर निपटाया जा सकता है यदि क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का बीमा न हुआ हो या पालिसी में क्षति वाले विशेष जोखिम को शामिल न किया गया हो और बीमाकर्ता यह बताने में सक्षम है कि इस प्रकार के सुरक्षा का अभाव मुख्यत: लिपिकीय गलती के कारण है। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि कम्पनी ने अनुग्रह पूर्वक भुगतान के पांच मामले निपटाए जिनमें 103.27 लाख रु. के दावे शामिल थे यद्यपि ये मामले अस्वीकार किए जा सकते थे क्योंकि निर्माण की श्रेणी की गलत घोषणा की गई, पालिसी में हानि के अधीन स्टाक का उल्लेख नहीं था, बीमाकर्ता कलईदार सेक्टर से नहीं था और यह जोखिम पालिसी में शामिल नहीं था। तथापि कुछ मामलों में बोर्ड द्वारा अनुग्रह पूर्वक भुगतान अनुमोदित किया गया और बीमाकृत के संबंध में निरन्तर विपरीत दावा अनुभव पर विचार नहीं किया गया। अनुग्रह पूर्वक भुगतान के दावे के निपटान के लिए मार्गनिदेशक सिद्धान्त में भी बीमाकृत के संबंध में विपरीत दावा अनुभव को शामिल करना चाहिए।

7. समुद्री बीमा

7.1 निम्नलिखित सारणी में उद्योग की तुलना में कम्पनी द्वारा प्राप्त समुद्री बीमा प्रीमियम दर्शाया गया है -

(लाख रु. में)

	बाजार शेयर		एन आई ए सी का शेयर	
वर्ष	**सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम**	**प्रतिशतता वृद्धि प्रीमियम**	**सकल प्रत्यक्ष**	**प्रतिशतता वृद्धि**
1989-90	34037	15.7	11336	13.5
1990-91	41825	22.9	13628	20.2
1991-92	49992	19.5	17582	29.0
1992-93	56466	13.0	22358	27.2
1993-94	83231	47.4	24108	7.8

7.2 समुद्री नौभार बीमा

7.2.1 निम्नलिखित सारणी में 1993-94 तक के पांच वर्षों के लिए कम्पनी के समुद्री नौभार बीमा कारबार के अधीन भारत में अनुमानित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम, अर्जित वास्तविक प्रीमियम और निवल लाभ दर्शाया गया है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	निगमित योजना के अनुसार	बजटगत	सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम	सकल प्रत्यक्ष दावे	एजेन्सी कमीशन	प्रबन्धन पर व्यय	आरक्षण भार	निवल लाभ(+) हानि(-)
1989-90	10700	9900	9075	5076	98	1453	1378	1070
				(55.9)	(1.1)	(16.0)	(15.2)	(11.8)
1990-91	*	10600	11195	6278	118	1635	2120	1044
				(56.1)	(1.1)	(14.6)	(18.9)	(9.3)
1991-92	*	13100	14095	5705	150	2004	2900	3336
				(40.5)	(1.1)	(14.22)	(20.6)	(23.67)
1992-93	16700	16393	16263	5600	172	1941	2167	6383
				(34.4)	(1.1)	(11.9)	(13.3)	(39.3)
1993-94	20988	19500	17790	8601	195	2055	1527	5412
				(48.3)	(1.1)	(11.5)	(8.6)	(30.4)

(कोष्ठक के भीतर के आंकड़े सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम की प्रतिशतता के द्योतक)

(* यह अवधि निगमित योजना में नहीं आती)

7.2.2 समुद्री विशेष घोषणा पालिसी

अखिल भारतीय समुद्री नौभार टैरिफ में समुद्री विशेष घोषणा पालिसी के अधीन कुल लाभ में कटौती का प्रावधान है यदि समाप्त होने वाले वर्ष से तुरन्त पूर्व के तीन वर्षों के लिए औसत हानि अनुपात छूट की अनुमति के बाद 60 प्रतिशत के भीतर हो। निवल लाभ छूट का प्रस्ताव अग्रिम में प्रीमियम के भुगतान के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहन स्वरुप है। अत: टैरिफ में आरंभ में घोषित बीमा की राशि समाप्त होने के बाद पण्यावर्त

छूट की अनुमति नहीं देता है ताकि पालिसी लेने के समय जानबूझकर बीमा की कम राशि घोषित करने की प्रवृति से बीमाकृत व्यक्ति को रोका जा सके जिससे अग्रिम में कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़े। बीमाकृत व्यक्ति को पालिसी की अवधि के दौरान किए गए वास्तविक प्रेषण बताना चाहिए और यदि घोषित बीमाकृत राशि से अधिक प्रेषण किया गया हो तो उसे खुले पालिसी के अधीन किया जाना है और पण्यावर्त छूट की अनुमति दिए बिना प्रीमियम प्रभारित किया जाना है। लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि नौ मामलों में कुल 9.26 लाख रु. की पण्यावर्त छूट दी गई यद्यपि बीमाकृत राशि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यह भी ध्यान में आया कि छः मामलों में 50.04 लाख रु. की अनियमित छूट दी गई यद्यपि ग्राहक इसके हकदार नहीं थे क्योंकि (क) दावे का अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक था (ख) इस प्रकार की छूट स्वीकार करने के लिए टी ए सी ने इन्कार किया था।

7.2.3 विशेष घोषणा पालिसी में बीमाकृत व्यक्ति द्वारा प्रेषण-की जाने वाली-वस्तुओं के श्रेणीवार सुरक्षा का प्रावधान है। वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए दर के अनुसार प्रीमियम प्रभारित किया जाता है जो बिना जोखिम वाली वस्तुओं के लिए कम होता है और जोखिमी वस्तुओं के लिए अधिक। इसी प्रकार 80 कि.मी. से अधिक प्रेषणों की अपेक्षा 80 कि.मी. से कम दूरी के प्रेषणों के संबंध में प्रीमियम की दर कम होती है। नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि बीमाकृत व्यक्ति ने चार मामलों में प्रत्येक श्रेणी के लिए वास्तविक प्रेषणों पर 4.05 लाख रु. अस्वीकार्य पण्यावर्त छूट प्राप्त की और प्रीमियम का पूरा भुगतान अग्रिम में नहीं किया क्योंकि आरंभिक अनुमान इस ढ़ंग से तैयार किया गया था कि कम दरों का लाभ उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त विशेष घोषणा पालिसी में यह निर्धारित है कि नवीकृत पालिसी के अधीन बीमाकृत राशि पूववर्ती वर्ष की पालिसी के प्रचलन के दौरान किए गए प्रेषणों के कुल मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की (अगस्त 1995) कि विशेष घोषणा पालिसी की शर्तों में श्रेणीवार अनुमान के लिए तथा पूर्ववर्ती वर्ष की पण्यावर्त के आधार पर श्रेणीवार निर्गमों का प्रावधान नहीं है ताकि अग्रिम में कम प्रीमियम के भुगतान की बीमाकृत व्यक्ति की प्रवृत्ति को टाला जा सके। लेखापरीक्षा बोर्ड ने पाया कि पालिसी में कमी का सुधार आवश्यक है।

7.3 प्रतिस्थापन

7.3.1 जहाँ हानि का निपटान कर दिया जाता है वहाँ बीमांकक बीमाकृत व्यक्ति की स्थिति में आ जाता है और वाहकों के प्रति बीमाकृत व्यक्ति के अधिकार प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। अनेक मामलों में प्रतिस्थापन पत्र प्राप्त करने के बाद या तो शीघ्र कारवाई नहीं की गई अथवा दावों का पूरा निपटान कर दिया गया किन्तु कोई वसूली नहीं की गई। सड़क वाहकों से वसूल की गई राशि निपटाए गए दावे की राशि की तुलना में सीमान्त (10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत) थी।

7.3.2 वाहकों के खिलाफ कुछ मामलों को छोड़कर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और रिकवरी एजेन्टों के माध्यम से वाहकों से प्राप्त तुच्छ राशि से कम्पनी संतुष्ट हो गई और उसने अपना प्रतिस्थापन अधिकार खो दिया। वर्ष 1989 से 1991 तक के लिए केवल "रोड रिकवरी" पर रिकवरी फीस की राशि 4.29 लाख रु. थी जबकि कुल वसूली की राशि रु. 34.19 लाख थी। वसूली की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए प्रतिस्थापन अधिकारों के बाह्यकरण को मजबूत बनाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1993) कि मुकदमा की प्रक्रिया में पर्याप्त समय और व्यय अन्तर्ग्रस्त था और छोटी मोटी हानियों के संबंध में वाहकों के खिलाफ मुकदमा का सहारा लेना व्यवहार्य नहीं था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि वसूली के मामलों के संबंध में जारी प्रतिमानों और मार्ग निदेशक सिद्धान्तों के बारे में कोई संहितावद्ध नीति नहीं है जिनपर प्रतिस्थापन अधिकारों के बाध्यकरण के लिए कार्रवाई की जाती है परन्तु मामले की जांच करने के लिए सहमत था ताकि अधिकारों की बाध्यता की प्रणाली को कारगर बनाया जा सके।

7.3.3 लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान छः मामले ध्यान मे आए जिनमें रु. 89.76 लाख की राशि अन्तर्ग्रस्त थी जहाँ सर्वेक्षण न किए जाने, दावे कालबाधित हो जाने, दावों पर समुचित कार्रवाई न किए जाने आदि कारणों से वाहकों से केवल 0.08 लाख रु. की वसूली की गई।

7.4 समुद्री पेटा बीमा

7.4.1 1993-94 को समाप्त पांच वर्षों के लिए भारत में बीमांकित समुद्री पेटा बीमा के परिणाम का विवरण नीचे दिया जाता है -

(लाख रुपए में)

वर्ष	निगमित योजना के अनुसार अनुभव	बजट के अनुसार	वास्तविक सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम	सकल बीमाकृत दावे	एजेन्सी का कमीशन	प्रबन्ध व्यय	आरक्षण भार	निवल लाभ (+ हानि (-)
1989-90	2800	1900	2261	1560 (69.0)	6 (0.3)	472 (20.9)	430 (19.0)	(-)207 (9.2)
1990-91	*	2100	2433	3416 (140.4)	10 (0.4)	411 (17.0)	172 (7.1)	(-)1576 (64.8)
1991-92	*	2800	3487	2804 (80.4)	8 (0.2)	580 (16.63)	1054 (30.23)	(-)959 (27.5)
1992-93	4200	5612	6095	2624 (43.1)	9 (0.1)	828 (13.6)	2608 (42.8)	26 (0.4)
1993-94	7923	7200	6318	5010 (79.3)	10 (0.16)	1021 (16.16)	223 (3.53)	54 (0.8)

(कोष्ठक में आंकड़े सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम की प्रतिशतता के द्योतक हैं)

(* यह अवधि निगमित योजना के भीतर नहीं आती)

प्रबन्धकों ने लेखापरीक्षा बोर्ड को बताया (मार्च 1994) कि समुद्री पेटा बीमा में हानियों के कारण पेटे का पुराना होना, भाड़े की कम दर जिससे स्वामी उनका रखरखाव अच्छी तरह नहीं करते थे और प्रक्षिशित स्टाफ के अभाव थे। समुद्री पेटा कारोबार में निरन्तर हानियों के बारे में पूछताछ करने पर मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि यह स्थिति सभी कम्पनियों के लिए एक सी थी और विपरीत दावा अनुपात के लिए दर फार्मूला में अर्थदण्ड का प्रावधान था।

7.4.2 ग्रेट इस्टर्न कम्पनी लिमिटेड को जारी की गई पालिसी के संबंध में कम्पनी 45 दिनों से 2 वर्ष और 10 महीने के पर्याप्त विलम्ब के बाद के 40.88 लाख रु. प्रीमीयम वसूल कर सकी क्योंकि टी ए सी से दर विलम्ब से प्राप्त हुई।

7.4.3 टी ए सी में निर्धारित है कि आरंभिक दर के लिए आवेदन जोखिम की जब्ती की तारीख से 60 दिनों

के भीतर निर्धारित फार्म प्रस्तुत किया जाना था, तथापि यह पाया गया कि टी ए सी को आवेदन प्रस्तुत करने में 1987-88 से 1990-91 के दौरान 38 मामलों में 20 दिनों से 3 वर्ष और 10 महीने तक विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा बोर्ड ने बताया कि पेटा बीमा की दर निर्धारित करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ। सुधार के लिए इस प्रणाली की जांच करने पर सहमत होते हुए मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि बीमाकृत व्यक्ति और बीमा कम्पनियों से टी ए सी द्वारा आंकड़े देर से प्राप्त होने के कारण विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा बोर्ड ने इस प्रकार के विलम्ब के परिहार के लिए टी ए सी की नियमित बैठक की आवश्यकता पर जोर दिया।

8. विविध बीमा

8.1 सभी प्रकार के सामान्य बीमा कारोबार जो अग्नि या समुद्री बीमा कारोबार के अधीन नहीं आते, "विविध बीमा" की श्रेणी में रखे जाते हैं। कम्पनी के अधीन निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के विविध बीमा है - (i) मोटर बीमा (ii) इंजीनियरी बीमा (iii) निजी दुर्घटना बीमा (iv) चोरी बीमा (v) मेडिक्लेम बीमा (vi) मार्गस्थ रोकड़ बीमा (vii) कामगार क्षतिपूर्ति बीमा (viii) दुर्घटना बीमा की अन्य श्रेणियां अर्थात् बैंकर्स क्षतिपूर्ति बीमा, ज्वेलर्स ब्लाक पालिसी और निष्ठा गारंटी बीमा

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के कारोबार सभी समुद्री बीमा किया जाता है जो मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों के लिए है और ग्रामीण बीमा के अधीन समूहीकृत हैं।

(i) पशु बीमा (ii) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना/ग्रामीण दुर्घटना (iii) व्यक्तिगत दुर्घटना व सामाजिक सुरक्षा योजना (पास) और झोंपड़ी बीमा (iv) कृषि पम्पसेट बीमा और (v) बोरवेल/बागवानी बीमा आदि

8.2 मोटर बीमा

8.2.1 मोटर बीमा कम्पनी के विविध विभाग का एक प्रमुख अंग है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ ही इस श्रेणी के कारोबार के अधीन प्रीमीयम आय में काफी वृद्धि हुई है। मोटर बीमा कारोबार को पूरी तरह टैरिफ में शामिल किया गया है और प्रीमीयम की दर तथा कवर के क्षेत्र का मानकीकरण कर दिया गया है।

8.2.2 निम्नलिखित सारणी में 1993-94 को समाप्त पांच वर्षों के लिए मोटर बीमा कारोबार के अधीन निगमित योजना, बजटगत प्रीमीयम, वास्तविक प्रीमीयम से अर्जित आय, निवल लाभ/हानि के अनुसार अनुमानित प्रीमीयम आय दर्शाई गई है -

(लाख रुपए में)

वर्ष	निगमित योजना के अनुसार अनुमान	बजट के अनुसार	वास्तविक सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम	सकल प्रत्यक्ष दावे	एजेन्सी का कमीशन	प्रबन्ध पर व्यय	आरक्षण भार	निवल लाभ(+ हानि(-)
1989-90	19200	18400	19535	22073	526	3942	1702	(-)8708
				(112.99)	(2.69)	(20.18)	(8.71)	(44.58)
1990-91	*	20600	27917	26315	722	5424	4191	(-)8735
				(94.26)	(2.58)	(19.42)	(15.01)	(31.28)
1991-92	*	31550	31166	29028	810	5816	1624	(-)6112
				(93.14)	(2.59)	(18 69)	(5.21)	(19.64)
1992-93	35100	33732	33516	32029	869	6370	1175	(-)6927
				(95.56)	(2.59)	(19.00)	(3.50)	(20.67)
1993-94	38352	38300	37852	35896	983	6984	2168	(-)8179
				(94.84)	(2.6)	(18.45)	(5.73)	(21.61)

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े सकल प्रत्यक्ष प्रीमीयम की प्रतिशतता के द्योतक है)

(* यह अवधि निगमित योजना में शामिल नहीं है)

8.2.3 कम्पनी को सभी वर्षों में मोटर बीमा में हानि हुई। थर्ड पार्टी बीमा में सभी वर्षों में 200 से 316 प्रतिशत तक भारी हानि हुई। मोटर बीमा में भारी हानि के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया था। कम्पनी को मोटर कारोबार में निरन्तर हानियों के बावजूद प्रीमियम आधार को बढ़ाने के विचार से प्रतिकूल दावा अनुभवमय वाहनों के लिए प्रीमियम की लोडिंग निर्धारित नहीं की गई है।

8.2.4 1989-90 के दौरान वाणिज्यिक वाहनों के लिए थर्ड पार्टी कवर के लिए प्रीमियम में अहर्वमुखी संशोधन किया गया था। कम्पनी द्वारा केवल थर्ड पार्टी कवर के लिए मोटर दावों के अनुभव का श्रेणीवार और वर्गवार विवरण नहीं रखा गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रीमियम में वृद्धि प्रभावी थी। प्रगामी कम्प्यूटरीकरण से निकट भविष्य में आंकड़ों के रखे जाने की प्रबन्धकों को आशा थी (नवम्बर 1993)।

8.3 अवशिष्ट माल पर नियंत्रण

जब कम्पनी द्वारा एक बार दावे का निपटान कर दिया जाता है तो बदले गए पुर्जे (अवशिष्ट माल) बीमाकर्ता की सम्पत्ति होती है। यद्यपि सामान्य बीमा निगम ने दावों के निपटान के समय अवशिष्ट माल पर कार्रवाई के बारे में कोई मार्ग निदेश जारी नहीं किये हैं; अवशिष्ट माल का मूल्य बीमाकृत व्यक्ति और बीमाकर्ता आपसी बातचीत के आधार पर द्वारा समायोजित किया जाता है। प्रबन्धकों ने लेखापरीक्षा बोर्ड को स्पष्ट किया (मार्च 1994) कि अवशिष्ट माल के निपटान के बारे में सामान्य बीमा कम्पनी द्वारा सामान्य मार्गनिदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि सुनिर्धारित प्रणालियां और क्रियाविधियाँ विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि प्रबन्धक सदा सजग रहते हैं और अवशिष्ट माल के मूल्य में गिरावट का परिहार करने का प्रयास करते हैं तथा गैरेज प्रभारों को न्यूनतम रखते हैं। तथापि बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संलग्न एक डिवीजन की शाखाओं द्वारा रखे गए अवशिष्ट माल के रजिस्टर की समीक्षा से यह पता लगा कि अवशिष्ट माल का समुचित विवरण नहीं रखा गया है और अवशिष्ट माल को बेचने में 43 दिनों से एक वर्ष तक का विलम्ब हुआ है। अवशिष्ट माल को विलम्ब से बेचने के कारण गैरेज प्रभार पर 2.54 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ और गुणवत्ता ठीक न होने के कारण कम्पनी को बेहतर मूल्य नहीं मिल पाया।

8.4 कवर नोट जारी करना

8.4.1 मोटर वाहन अधिनियम में प्रीमियम की वसूली के बाद नियमित पालिसी प्रलेख जारी किए जाने तक तुरन्त कवर नोट जारी करने के लिए प्रावधान है। विकास अधिकारियों/एजेन्टों को जारी कवर नोटों का उपयोग और प्रीमियम का उचित लेखा सुनिश्चित करने के लिए परिचालन कार्यालयों द्वारा उचित अभिलेख नहीं रखे गये हैं।

हावड़ा प्रभार के साथ संलग्न सिटी शाखा में कवर नोट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं रखा गया यद्यपि 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1992 की अवधि के दौरान स्टाक रजिस्टर के अनुसार 30 पुस्तकें जारी की गई जिनमें 1200 कवर नोट थे।

मद्रास स्थित एक आटोमोबाइल कम्पनी द्वारा विनिर्मित न्यू चेसिस को मोटर ट्रेड पालिसी के अधीन लिया जा रहा है। डिवीजन ने पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों/व्यापारियों को फैक्ट्री से सभी सम्प्रेषणों को कवर करने के लिए खुली पालिसी जारी की जो चेसिस का सम्प्रेषण किए जाने पर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा घोषणा के अध्यधीन है। चूंकि बीमाकृत व्यक्ति का बहुत ही विस्तृत नेटवर्क होता है डिवीजन ने सम्प्रेषणों के होने पर अपनी ओर से उपयोग के लिए अग्रिम में बीमाकृत व्यक्ति को पूर्व हस्ताक्षरित कवर नोट वाली पुस्तक दी। सभी कवर नोटों को कवर करने के लिए प्रतिमाह अग्रिम में अनुमान के आधार पर अनन्तिम प्रीमियम का संग्रहण किया जाता था और वास्तविक सम्प्रेषणों के आधार पर बाद में समायोजन किया जाता था।

8.4.2 पूर्वहस्ताक्षरित कवर नोटों को जारी करना निर्धारित क्रियाविधि के विरुद्ध है। सम्प्रेषण स्थल पर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए जाने के बाद कवर नोटों को डिवीजन में पहुंचने में औसतन 40 से 45 दिनों का समय लगता है। कुछ मामलों में कवर नोटों को बैंक गारंटी खाता में डेबिट करने से पहले ही कवर समाप्त हो गए क्योंकि वे गन्तव्य स्थान पर विलम्ब से पहुंचे। इस प्रकार इस प्रकार के नोटों के जारी करने पर वास्तव में डिवीजन का कोई नियंत्रण नहीं था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त'1995) कि इस प्रकार की सुविधाएं केवल उन ग्राहकों को दी जाती है जो सुस्थापित हैं और उचित लेखे रखते है। तथापि ग्राहकों को दिए गए पूर्वहस्ताक्षरित कवर नोटों के संबंध में प्रभावी नियंत्रण के लिए ब्यौरेवार मार्गनिदेश और क्रियाविधि निर्धारित नहीं है।

8.5 अन्य विविध बीमा

8.5.1 निम्नलिखित सारणी में 1993-94 तक पांच वर्षों के लिए मोटर को छोड़कर अन्य विविध बीमा कारोबार के अधीन निगमित योजना, बजटगत और लाभप्रदत्ता के साथ अर्जित वास्तविक प्रीमियम के अनुसार अनुमानित प्रीमियम दर्शाया गया है -

(लाख रुपए में)

वर्ष	निगमित योजना के अनुसार अनुमानित	बजट	वास्तविक सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	सकल प्रत्यक्ष दावे	एजेन्सी का कमीशन	प्रबन्ध पर व्यय	आरक्षण भार	निवल लाभ(+ हानि (-)
1989-90	18200	16400	16990	11285	706	3732	1370	(-)103
				(66.4)	(4.2)	(22.0)	(8.1)	(-)0.7
1990-91	*	19900	21450	11781	806	4317	2230	2316
				(54.9)	(3.8)	(20.1)	(10.4)	(10.8)
1991-92	*	23050	24106	14680	926	4652	1329	2519
				(60.9)	(3.8)	(20.0)	(5.5)	(9.8)
1992-93	28500	29102	29920	14843	1100	4836	2907	6234
				(49.6)	(3.7)	(16.2)	(9.7)	(20.8)
1993-94	35510	34000	36893	19419	1291	5660	3487	7036
				(52.6)	(3.5)	(17.6)	(9.5)	(16.8)

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की प्रतिशतता के द्योतक हैं)

(* यह अवधि निगमित योजना के अन्तर्गत नहीं आती है)

8.5.2 निगमित योजना में अनुमानित प्रीमियम वर्ष 1989-90 में प्राप्त नहीं हुआ और 1989-90 के दौरान विविध कारोबार में हानियाँ हुई थीं। प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1993) कि निगमित योजना में अनुमानित प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि प्रत्याशित स्थल पर औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था।

8.6 इंजीनियरी बीमा

8.6.1 निर्माणपर्यन्त सर्वजोखिम बीमा

एक स्पष्टतः अभिज्ञेय परियोजना के सामुद्रिक व भंडारण व निर्माण इंजीनियरी बीमा के अंतर्गत "सर्व जोखिमों" में शामिल किया जाता है। समुद्री व भंडारण निर्माण बीमा सुरक्षा (एम सी ई) की प्रीमियम दर टैरिफ में दी गई है। जिन मामलों में बीमाकृत राशि 50 करोड़ रु. से अधिक हो उन मामलों में एम सी ई पालिसी की दर विशेष दर निर्धारण के लिए टी ए सी को भेजनी होती है। निम्नलिखित सारणी में 1993-94 तक पांच वर्षों के लिए बाजार प्रीमियम और दावों के अनुभव की तुलना में इंजीनियरी कारोबार बीमा में कम्पनी द्वारा अधिप्राप्त प्रीमियम दर्शाए गए हैं और कम्पनी के प्रीमियम की वृद्धि दर 1991-92 को छोड़कर बाजार वृद्धि से अधिक है।

(लाख रुपए में)

वर्ष	सकल प्रत्यक्ष बाजार प्रीमियम	वृद्धि की प्रतिशतता	सकल प्रत्यक्ष एन आई ए सी प्रीमियम	वृद्धि प्रतिशतता	बाजार शेयर की तुलना में एन आई ए सी की प्रतिशतता	एन आई ए सी के सकल बीमाकृत दावे	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रति दावों की प्रतिशतता
1989-90	16072	28.2	5698	33.7	35.45	3655	64.2
1990-91	20560	27.9	7398	29.8	35.98	3836	51.9
1991-92	23547	14.5	8417	13.8	35.74	5116	60.8
1992-93	28254	20.0	10905	29.6	38.59	4109	37.7
1993-94	37300	32.0	7015	41.6	18.80	2548	36.3

8.7 बैंकर की क्षतिपूर्ति योजना में बीमाकृत व्यक्ति द्वारा धन की प्रत्यक्ष हानि और/अथवा प्रतिभूति के विशिष्ट जोखिमों के प्रति क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी बैंक को (सहकारी बैंक सहित) पैकेज पालिसी जारी करने का प्रावधान है। इस कारोबार में दावों के अनुभव ने आमतौर पर प्रतिकूल प्रवृत्ति दर्शाई है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है -

(लाख रु. में)

वर्ष	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	सकल प्रत्यक्ष दावे	प्रतिशतता
1989-90	53.69	56.98	106.1
1990-91	68.00	38.55	56.7
1991-92	68.46	99.52	145.4
1992-93	253.00	331.00	130.8
1993-94	200.00	(-)28.00	-

8.8 स्वास्थ्य बीमा

8.8.1 सम्पत्तियों के बीमा के अतिरिक्त बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने या पूर्णत: या अंशत: दुर्घटना के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या विकलांग हो जाने पर क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कम्पनी ने व्यवस्था की है। पालिसी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा खरीदी जा सकती है।

साधारण बीमा निगम ने ये निदेश जारी किए कि जनवरी 1988 से पूर्व जारी की गई पालिसियां जहां गत तीन वर्षों के दौरान औसत हानि का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक था, का समाप्त प्रीमियम दरों में वृद्धि करते हुए इस प्रकार से नवीकरण किया जाना चाहिए कि हानि के अनुपात को 80 प्रतिशत तक लाया जा सके। तथापि निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 9.62 लाख रु. प्रीमियम का कम संग्रहण हुआ। जबकि मंत्रालय ने यह बताया कि एक मामले में 2.14 लाख रु. की वसूली की गई, अन्य दो मामलों में यह तर्क दिया गया कि चूंकि 500 से अधिक व्यक्तियों का समूह था अत: पालिसी गैर टैरिफ के रूप में मानी जाएगी। तथापि दावों के अनुभव पर आधारित लोडिंग के बारे में साधारण बीमा निगम के निदेशों में ग्रुप के आकार के आधार पर कोई अन्तर नहीं रखा गया है।

8.9 कामगार क्षतिपूर्ति (डब्ल्यू सी) पालिसी रोजगार, चोट या व्यावसायिक रोगों से उद्भूत कामगारों की मृत्यु या विकलांगता के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और सामान्य विधि के अधीन नियोक्ता को सांविधिक देयता से सुरक्षा प्रदान करता है। पालिसी के अधीन बीमाकृत राशि आरम्भ में अनुमानित मजदूरी होगी जिसका प्रदत्त वास्तविक मजदूरी के आधार पर पालिसी अवधि की समाप्ति पर समायोजन किया जाता है। तथापि अनेक मामलों में इस आधार पर समायोजन नहीं किया गया कि बीमाकृत व्यक्ति ने पालिसी की समाप्ति पर वास्तविक मजदूरी की घोषणा नहीं की थी। मंत्रालय ने तर्क दिया कि कामगार पालिसियों के असमायोजन के कारण विश्व बाजार सहित सभी कम्पनियों में प्रीमियम की हानि होती है और एक मुश्त प्रीमियम प्रभारित करना संभव समाधान होगा। प्रबन्धक स्थिति में सुधार के लिए समुचित उपायों पर विचार करने के लिए सहमत थे (अगस्त 1995)।

नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि पांच प्रभागों में अनेक पालिसियां असमायोजित रह गई जैसा कि नीचे दिया गया है -

डी ओ	जारी की गई कुल पालिसियां	असमायोजित पालिसियां	प्रतिशतता
120600	85	35	41.2
120700	280	255	91.0
110600	713	551	77.3
110800	10	10	100.0
210500	20	20	100.0

8.10 ग्रामीण बीमा

8.10.1 बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बीमा सुरक्षा के विकास का विस्तार करने पर जोर दिया गया। इनमें से कवर मवेशी, कृषि पम्पसेट और जनता व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रामीण दुर्घटना महत्वपूर्ण बीमा पालिसियां हैं।

8.10.2 मवेशी बीमा

निम्नलिखित सारणी में समस्त उद्योग की तुलना में कम्पनी द्वारा मवेशी पशुधन बीमा कारोबार का विस्तार दर्शाया गया है -

(आंकड़े लाख रु. में)

वर्ष	शामिल पशुओं की संख्या		सकल प्रत्यक्ष	उद्भूत दावे	दावा अनुपात की
	उद्योग	न्यू इण्डिया	प्रीमियम		प्रतिशतता
1989-90	181.9	36.6	2112.97	1992.34	94.3
1990-91	172.6	33.7	2117.00	1593.42	75.3
1991-92	163.8	22.8	2109.04	1554.71	73.7
1992-93	180.6	25.6	2195.21	1655.12	75.4
1993-94	177.36	25.2	2670.57	1552.20	58.1

कुल मवेशी पशुधन 2720 लाख रु. मानते हुए, सम्पूर्ण बीमा उद्योग द्वारा 200 लाख (6.5 प्रतिशत) से कम बीमा सुरक्षा बिल्कुल नगण्य है। इससे पता चलता है कि कम्पनी के ग्रामीण विपणन बल को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

बीमा कवर में आई आर डी पी और गैर आई आर डी पी योजना के अधीन मवेशियों को शामिल किया जाता है। आई आर डी पी कार्यक्रम के अधीन आने वाले पशुओं की अपेक्षा गैर आई आर डी पी के अधीन आने वाले पशुओं के मामले में दावे का अनुपात अधिक था।

लगभग शामिल किए गए सभी पशु बैंकों द्वारा वित्त पोषित किए गए थे और बैंकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों तथा पशुओं के विवरण के बारे में पशुपालन अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर पालिसियां जारी की गई थीं। यद्यपि बीमाकृत पशुओं को कान के धागों से पहचाना जाता था, यह सत्यापित करने की कोई प्रणाली नहीं थी कि काने के धागे वास्तव में प्रचालन कार्यालयों द्वारा ही लगाए गए थे ताकि दावा के समय उसे पहचाना जा सके। प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1994) कि (i) पशु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में दर्ज प्राकृतिक पहचान चिन्ह के अतिरिक्त कान के धागे द्वारा पहचान की जाती थी (ii) उनके पशुपालन अधिकारियों को यह सलाह दी गई थी कि वे समय समय पर स्थल पर जाकर सत्यापन करें और जब धागा न पाया जाए तो दुबारा धागा लगाया जाए (iii) धागा लगाने और दुबारा धागा लगाने का कार्य पूरा होने के बाद जांच/पैरा जांच/टैगर्स को निर्धारित फीस का भुगतान किया जाता था।

मवेशी बीमा की वर्तमान प्रणाली में यह सुनिश्चित करना कठिन है कि स्वीकृति से पूर्व स्वास्थ्य की जांच निर्धारित ढ़ंग से की गई है। नीचे के स्तर पर मृत्यु का सत्यापन भी ढीला है और संदेहास्पद है। सर्वदा ऐसा ही मामला नहीं है कि किसी स्वामी के सभी मवेशी बीमाकृत हों और परिणामस्वरुप अबीमाकृत पशु पर दावा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1994) कि उन्होंने अपने

परिचालन कार्यालयों को चयन की अनुमति न देने की सलाह दी है यद्यपि बैंक द्वारा वित्तपोषित मवेशी के मामले में कार्रवाई करने के बावजूद सुनिश्चित नहीं किया जा सका। पालिसी के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि कमियों पर नियंत्रण पाया जा सके।

निजी पशुओं के कवर के लिए जारी पालिसियों में कुल मवेशी का 10 प्रतिशत ही शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण प्रतिनिधित्य और विकास अधिकारियों की अनुपलब्धता जैसी अनेक रुकावटों के कारण निर्धारित मानदण्डों पर पशुओं की बीमा सुरक्षा प्राप्ति नहीं की जा सकी।

योजना के कार्यान्वयन में असावधानी है और नागपुर प्रभागीय कार्यालय I व II द्वारा 1987-88 से 1990-91 के दौरान जारी मवेशी बीमा पालिसियों की नमूना जांच में अनियमितताएं देखी गईं जो नीचे दी जाती हैं -

(i) मृत्यु के समर्थन में प्रमाणपत्र का असंग्रहण

(ii) दावा के निपटान के समय शव परीक्षा प्रमाणपत्र न लेना

(iii) ईअर टेगों के उत्पादन, फोटोग्राफों, पंचनामों, जो दावे के प्रमाणीकरण को सिद्ध करने के लिए पूर्व अपेक्षित हैं, जैसी नीति सम्बन्धी शर्तों का अनुपालन किए बिना दावों का निपटान।

कुछ मामलों में, शाखाओं के विकास अधिकारियों, जिन्हें ईअर टेग जारी किए गए थे, ने ईअर टेग संख्या, तदनुरूपी पालिसी संख्या, पालिसी जारी करने की तारीख, प्रत्येक महीने की समाप्ति पर उनके साथ ईअर टेगों के टेगिंग वलेंस स्टाक की तारीख आदि जैसे विवरण के साथ उनके द्वारा ईअर टेगों के उपयोग को दशनि वाली आवधिक रिपोर्टें नहीं भेजीं। इन विवरणों की प्राप्ति के लिए कोई निगरानी नहीं रखी जाती ताकि संभव दुरुपयोग को कम किया जा सके और हानि नियंत्रण उपाय के रुप में कार्य किया जा सके। जबकि मंत्रालय इस बात से सहमत था कि शामिल किए गए अधिकतर कैटल हैड बैंकों द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं, इसने बताया कि कैटल का पता लगाने के सम्बन्ध मेकं व्यापक अनुदेश जारी किए गए हैं और कभी-कभी कार्यकलापों, जो विस्तृत क्षेत्रों में फैले होते हैं, के स्वरुप के कारण, दूर दराज के क्षेत्रों में कई बार नियमों का पूर्ण रुप से अनुपालन संभव नहीं हो पाता। मंत्रालय ने आगे बताया (अगस्त 1995) कि केवल 2 से 10 वर्ष की आयु के पशुओं को बीमा के अन्तर्गत शामिल किया जाता है और जहां कहीं ईअर टेगों का संग्रहण नहीं किया गया था वहां फोटोग्राफ और अन्य सुसंगत दस्तावेज मंगाए गए थे तथा पूरी संतुष्टि के बाद दावों का निपटान किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि जहां कहीं मौके पर पालिसियां जारी की गयी थीं और दावों का उचित संस्वीकृत के बिना निपटान किया गया था वहां कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया गया था और दोषी पाए गए कर्मचारियों पर उचित शास्तियां लगाई गई हैं।

8.11 एग्रीकल्चरल पम्पसैट इंश्योरेंस

एग्रीकल्चरल पम्पसैट इंश्यारेंस के अन्तर्गत दी गई बीमा सुरक्षा में मूल रूप से ग्रामीण किसानों को शामिल किया जाता है जिसमें आग, चोरी, परिसर में पम्पसैटों को जोड़ते समय उनकी यांत्रिक या विद्युतीय खराबी के कारण हानि जैसी अप्रत्याशित और आकस्मिक प्राकृतिक क्षति के प्रति जोखिम की क्षतिपूर्ति की जाती है। योजना 1976 में लागू की गयी थी।

कम्पनी द्वारा पम्पसैट इंश्योरेंस की कवरेज में 1988-89 में 2.02 लाख से 1993-94 में 1.44 लाख तक कमी आई जबकि समग्र रुप से उद्योग के मामले में कवरेज में 1988-89 से 1993-94 के दौरान 5.48 लाख से 5.85 लाख तक वृद्धि हुई। कम्पनी के दावे का अनुपात 1988-89 में 26.32 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 में 31.50 प्रतिशत हो गया जो कि सामान्यतया उद्योग से अधिक था। बाजार के कम्पनी के शेयर में कमी आ रही है और यह 1990-91 में 20.8% की सारा समय कमी का सूचक था। मंत्रालय ने बताया कि एग्रीकल्चरल पम्पसैट इंश्योरेंस में निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि बाजार शेयर में कमी मुख्यतया बैंकिंग वित्त की कमी के कारण रही।

8.12 व्यक्तिगत दुर्घटना और सामाजिक सुरक्षा योजना (व्य दु स सु यो)

15 अगस्त 1985 को भारत सरकार द्वार लांगू की गयी व्य दु स सु यो को देश में सभी जिलों को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है।

यह योजना सा बी क के लिए एजेंसी आधार पर 15 अगस्त 1985 को कम्पनी द्वारा शुरु की गयी थी। योजन का मुख्य उद्देश्य उस गरीब परिवार के पुनर्वास के लिए उत्तरजीवी लाभ समयोपयोगी वस्तुएं मुहैया कराना है जो परिवार अपने कमाने वाले सदस्य की आकस्मिक मौत से प्रभावित होता है और जो किसी कानून/संविधि की किसी बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं है। योजना के अन्तर्गत निवल प्रीमियम 1989-90 में 100 लाख रु. से बढ़कर 1993-94 में 175 लाख रु. हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान दावे के अनुपात में 85.38 प्रतिशत से 44.00 प्रतिशत की कमी आई थी।

8.13 झोपड़ी बीमा

8.13.1 झौपड़ी बीमा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीब परिवारों के लिए है, को सा बी नि/भारत सरकार के लिए एजेंसी आधार पर 1 मई 1988 से लागू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीब परिवारों को राहत दिलाना है जब उनकी झोपड़ियां और/या सम्बन्धित वस्तुएं आग से नष्ट हो जाती हैं।

8.13.2 कम्पनी के मामले में योजना के अन्तर्गत निवल प्रीमियम 1989-90 में 100 लाख रु. से बढकर 1993-94 में 229 लाख रु. हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान दावे के अनुपात में 12.92 प्रतिशत से 3.90 प्रतिशत की कमी आई।

9. जोखिम स्वीकार करना

9.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वी बी में अनुबंध है कि निम्नलिखित मामलों को छोड़कर पूरे प्रीमियम का पूर्व भुगतान किए बिना किसी जोखिम की कल्पना नहीं की जा सकती।

(i) जबकि प्रीमियम की पूरी राशि की उस महीने, जिसमें जोखिम की कल्पना की जाती है, के बाद पहले कैलेंडर मास की समाप्ति से पहले एक बैंक द्वारा गारंटी दी जाती है, या

(ii) जबकि प्रीमियम की संपूर्ण राशि के भुगतान को शामिल करने के लिए पर्याप्त बीमाकृत के क्रडिट के लिए बीमकर्ता के साथ एक अग्रिम जमा किया गया है।

9.2 चूंकि धारा 64 वी बी के अनुपालन के अभाव में विभिन्न मंडलीय कार्यालयों में बड़ी संख्या में दावे बकाया सूचित किए गए थे इसलिए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की सी बी नि द्वारा पुनः जांच की गई थी और फरवरी 1990 में नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। भविष्य में सावधानीपूर्वक टैरिफ नियमों और सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए थे (मार्च 1990)। नमूना जांच से यह पाया गया कि इन दिशानिर्देशों को जारी करने के बावजूद, प्रीमियम का उस महीने, जिसमें जोखिम की कल्पना की गयी थी, के अनुवर्ती महीने की समाप्ति के काफी बाद संग्रहण किया गया था। 12 मामलों में एक से सात महीनों का विलम्ब हुआ। मंत्रालय ने तर्क दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित दावे कम तथा अपवादस्वरूप हैं परन्तु यह सुनिश्चित किया गया कि प्रीमियम सभी मामलों में प्राप्त किया गया था।

9.3 चार मामलों में 118.43 लाख रु. तक के दावों का निपटान किया गया था जबकि पूरे प्रीमियम को पहले ही प्राप्त नहीं किया गया था और जोखिम को एक बैंक गारंटी के प्रति स्वीकार किया गया था जबकि बैंक गारंटी के अन्तर्गत उपलब्ध शेष प्रीमियम के लिए पर्याप्त नहीं था।

10. कारबार प्राप्त करना

10.1 विकास अधिकारी

10.1.1 प्रचालन कार्यालय, जैसे कि मण्डल और शाखाएं संगठित कारबार का बीमा करते हुए इस कार्य को विकास अधिकारियों, जो कम्पनी के कर्मचारी होते है, के माध्यम से करते हैं। विकास स्टाफ केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई सामान्य बीमा (वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का यौक्तिकीकरण) योजना द्वारा नियंत्रित होता है। योजना में प्रत्येक विकास स्टाफ द्वारा प्राप्त की जाने वाली निम्नतम प्रीमियम आय का प्रावधान किया गया है।

10.1.2 इसके अतिरिक्त निर्धारित मापदंड के पूरा करने पर संशोधित श्रेणी-II योजना के अन्तर्गत विकास अधिकारियों को तीन प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

10.1.3 निष्पादन वर्ष के लिए लाभ प्रोत्साहन उस विकास अधिकारी को भुगतान योग्य होता है जिसका लागत अनुपात निर्धारित सीमाओं के अन्दर होता है और परिचालन अधिशेष वेशी, उस वर्ष की निर्धारित प्रीमियम आय के 20 वर्ष से कम न हो। परिचालित अधिशेष वेशी को परिकलित करते समय किसी भी एक दावे से उत्पन्न होने वाले एक लाख रु. से अधिक दावों को केवल एक लाख रु. तक सीमित किया जाता है जिससे विकास अधिकारी को लाभ प्रोत्साहन के अर्जित करने के लायक बनाया जाता है उसका कारबार लाभप्रद न हो। इस प्रकार उसी प्रयोजन और प्रोत्साहन देने के वाणिज्यिक आधार को निष्फल बनाता है।

10.1.4 लागत आधारित वृद्धि प्रोत्साहन उस समय अदा किया जाता है जब विकास अधिकारी का लागत अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक न हो - लाभ प्रोत्साहन के लिए भी वही - और निष्पादन वर्ष के दौरान उसकी प्रीमियम प्राप्ति कम से कम 3 लाख रु. हो और पूर्व निष्पादन वर्ष की तुलना में निर्धारित प्रीमियम आय में कम से कम 60,000 रु. की वृद्धि दर्शायी गयी हो।

10.1.5 लागत-बचत उत्पादन प्रोत्साहन लागत की निर्धारित सीमा से कम प्रचालन करने वाले और गैर पारम्परिक कारबार के लिए आनुमानिक क्रेडिट या डेबिट की बाबत विकास अधिकारी की प्रीमियम आय का समायोजन करने के बाद विकास अधिकारी को अदा किया जाता है। अतः यह प्रोत्साहन ग्रामीण, निजी आदि जैसे गैर-पारम्परिक कारबार में वृद्धि करने के विचार से दिया जाता है। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 1993) कि तीन प्रोत्साहनों सहित सम्पूर्ण श्रेणी-II योजना एक समिति की गहन संवीक्षाधीन थी। यह समिति सा बी नि द्वारा इसकी समीक्षा करने के लिए विशेष रुप से गठित की गई थी। विकास अधिकारियों के गैर निष्पादन के लिए अनुत्साहन देने के प्रश्न पर मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि सेवा बर्खास्तगी सहित ऐसे अनुत्साहन पहले ही थे परन्तु इनको कभी कभार कार्यान्वित किया जाता था। परिचालन अधिशेष की तुलना में कई प्रोत्साहनों के भुगतान में अस्पष्ट खंडन के बारे में जब पुछा गया तो मंत्रालय सिद्धांततः इस बात पर सहमत हुआ कि प्रत्येक विकास अधिकारी को लाभ केन्द्रीभूत होना चाहिए। लेखापरीक्षा बोर्ड को यह भी सूचित किया गया था (अगस्त 1995) कि योजना समीक्षाधीन थी।

10.2 एजेंट

10.2.1 कमीशन के भुगतान पर एजेंटों के माध्यम से भी कारबार की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित तालिका 1993-94 तक पांच वर्षों के लिए संगठित कारबार से सम्बन्धित सकल प्रीमियम आय के अनुपात और प्रदत्त कमीशन को दर्शाती है:

(लाख रु. में)

	अग्नि			समुद्री			मोटर			विविध			जोड़		
वर्ष	प्रीमियम	कमीशन	प्रतिशतता	प्रीमियम	कमीशन	प्रतिशतता	प्रीमियम	कमीशन	प्रतिशतता	प्रीमियम	कमीशन	प्रतिशतता	प्रीमियम	कमीशन	प्रतिशतता
1989-90	9154	82	0.89	5697	104	1.82	18148	526	2.89	11438	706	6.17	44437	1418	3.19
1990-91	10749	98	0.91	6471	128	1.97	25625	722	2.82	14570	806	5.53	57450	1754	3.05
1991-92	13238	112	0.85	8318	158	1.90	28272	810	2.87	15788	926	5.86	65616	2006	3.06
1992-93	15746	136	0.86	10654	181	1.70	29825	869	2.91	18024	1100	6.10	74249	2286	3.08
1993-94	19532	156	0.79	11820	205	1.73	33967	983	2.89	21110	1291	5.12	86429	2635	3.05

10.2.2 एजेंटों के निष्पादन का या तो मण्डल द्वारा या नियंत्रक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवधिक रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाता है। एजेंटों की भर्ती के लिए निर्धारित कोई विशेष मानदंड नहीं हैं तथा बेनामी एजेंटों या गैर निष्पादी एजेंटों को हटाने की कोई प्रणाली नहीं है। चुने गए चुनिंदा मंडलीय कार्यालयों की नमूना जांच के दौरान यह पता चला था कि एजेंटों की कुल संख्या के गैर निष्पादी एजेंटों की प्रतिशतता में 7 से बढ़कर 73 तक अन्तर था। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 1993) कि नियुक्ति और एजेंट के लाइसेंसों के नवीकरण/रद्दीकरण के सम्बन्ध में कमियों की सा बी नि द्वारा जांच की गयी थी और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। आगे यह बताया गया था कि उनके निष्पादन की नवीकरण की अवस्था में समीक्षा की गयी थी और एजेंटों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया था कि वे अपने कमीशन चैकों का व्यक्तिगत तौर पर संग्रहण करें।

10.2.3 कैटल, पम्पसेट आदि के बीमे जैसे अधिकतर गैर पारम्परिक कारबार बैंकों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि उन्हें बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और लघु किसान विकास एजेंसी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तियों के गैर पारम्परिक बीमा की राशि जहां कोई बैंक अर्न्तग्रस्त नहीं है, न के बराबर है। बैंक सामान्यतया अपने हितों की रक्षा के लिए उनके द्वारा वित्तपोषित परिसम्पत्तियों के आवश्यक बीमा का अनुबंध करते हैं। इस प्रकार इस तरह के कारबार प्राप्त करने में एजेंटों की भूमिका महतवपूर्ण नहीं होती। इसके बावजूद, 15 प्रतिशत की दर पर कमीशन एजेंटों के लिए अनुमत किया जाता है। प्रबन्धन ने बताया कि (दिसम्बर 1993) केवल ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कारबार के सम्बन्ध में कमीशन का भुगतान रोक दिया गया था क्योंकि कारबार अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था।

जबकि कुछ एजेंट कारबार को सीधे ही बीमा कार्यालयों जिनके साथ में लगे हैं, के लिए प्राप्त करते हैं वहीं अधिकतर एजेंट विकास अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं और जहां तक कारबार की प्राप्ति का सम्बन्ध है वे उनके साथ लगे होते हैं। एजेंटों द्वारा प्राप्त कारबार का भी सम्बन्धित विकास अधिकारियों द्वारा उनको देय प्रोत्साहन के परिकलन हेतु क्रेडिट लिया जाता है। प्राप्त उसी कारबार के लिए, एजेंट को कमीशन और विकास अधिकारी को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार ऐसे मामलों में दोहरा इनाम पद्धति प्रचलित है। प्रबन्धन ने दोहरी पद्धति को उचित बताया (दिसम्बर 1993) क्योंकि एजेंट एक प्राथमिक

बीमाकर्ता के रूप में कार्य करेगा तथा निजी रूप में अपना मार्गदर्शन भी करेगा। जबकि ऐसे कारबार को प्राप्त करने के लिए एजेंटों को कमीशन दिया जाता है वहीं उसी कारबार के लिए विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन के रूप में दिया गया लाभ उचित नहीं होता है।

11. विदेशी प्रचालन

11.1 1973 में बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय बीमा कम्पनियां भी अपनी शाखाओं, एजेंसियों और सहयोगी कम्पनियों के माध्यम से विदेश में सीधा कारबार कर रही थीं और इसे उन्होंने राष्ट्रीयकरण के बाद भी जारी रखा। 31 मार्च 1994 को कम्पनी ने विभिन्न विदेशों में कारबार किया जैसा कि अनुबंध IV में दर्शाया गया है।

11.2 1993-94 तक पांच वर्षों के लिए इसके विदेशी प्रचालनों के माध्यम से प्राप्त सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और किए गए दावों तथा प्रीमियम को इसका अनुपात नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
अग्नि					
प्रीमियम	17.65	21.82	39.30	49.92	60.81
किए गए दावे	8.24	17.19	39.50	33.82	46.32
दावा अनुपात (%)	46.7	78.8	100.5	67.75	76.20
समुद्री					
प्रीमियम	10.32	11.57	19.35	20.13	34.06
किए गए दावे	8.32	10.38	18.54	17.21	33.71
दावा अनुपात (%)	80.6	89.7	95.8	85.49	98.97
विविध					
प्रीमियम	41.30	55.26	106.56	141.68	159.02
किए गए दावे	21.97	38.14	72.90	97.69	121.75
दावा अनुपात (%)	53.2	69.0	68.4	68.95	76.56
जोड़:					
प्रीमियम	69.27	88.65	165.21	211.73	253.89
किए गए दावे	38.53	65.71	130.94	148.72	201.78
दावा अनुपात (%)	55.6	74.1	79.2	70.24	79.44

जबकि 1989-90 के दौरान परिचालन आधिक्य अनुकूल था वहीं 1990-91 से 1993-94 की अवधि में अग्नि तथा समुद्री कारबार में दावा अनुपात अधिक रहा। प्रबन्धन ने उपरोक्त का कारण राष्ट्रीय आपदाओं तथा खाड़ी युद्ध जैसी महाविपत्तियों को बताया (जनवरी 1994) जिसका पूरे विश्व में बीमाकर्ताओं के परिणामों पर महत्वपूर्ण असर हुआ।

1993-94 में अर्जित 253.89 करोड़ रु. के कुल सकल प्रीमियम में से 56.9 प्रतिशत (144.45 करोड़ रु.) विकसित बाजारों से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार केवल 43.1 प्रतिशत विकासशील देशों से प्राप्त किया गया था। अकेले जापान ने कुल प्रीमियम के 36.3 प्रतिशत का योगदान दिया।

11.3 लोक उपक्रम समिति (आठवीं लोकसभा) ने अपनी छठी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सा बी नि की सभी सहायक शाखाओं द्वारा विदेशी प्रचालनों की निरन्तर समीक्षा और जिन मामलों में परिणाम अलाभप्रद थे उनमें उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है। जबकि निम्नलिखित चार शाखाओं और दो एजेंसियों के बीमा कार्य परिणाम पिछले आठ वर्षों (1985 से 1993-94) के दौरान निरन्तर हानियां दर्शा रहे थे। उनके प्रचालनों का जारी रहना अनुमत किया गया:

	स्थान/भूभाग	संचित हानि (लाख रु. में)
1.	कुवैत (एजेंसी)	77.25
2.	साऊदी अरब (एजेंसी)	672.52
3.	मोरिशस (शाखा)	93.48
4.	फिलिपीन्स (शाखा)	543.89
5.	आस्ट्रेलिया (शाखा)	172.87
6.	लंदन (शाखा)	4850.85

अगामी विश्लेषण से पता चला कि कुवैत, साऊदी अरब, फिलिपीन्स और यू.के. में शाखाओं/एजेंसियों को 1993-94 तक निरन्तर बीमा कार्य हानियां हो रही थीं। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि विदेशी प्रचालनों के परिणामों पर विदेशी प्रचालनों से उत्पन्न पुनर्बीमा कारबार और अतिरिक्त दबाव में वृद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए और निम्नानुसार अनुपालन किया जाना चाहिए:

(i) कुवैत के सम्बन्ध में, जब ब्याज और पुनर्बीमा दावा वसूलियों को हिसाब में लिया गया तब 1992-93 तक तकनीकी हानि में 13.93 लाख रु. की सीमान्त हानि तक कमी होगी।

(ii) 1992-93 तक आस्ट्रेलिया में बीमांकन हानि पुनर्बीमा वसूलियों और ब्याज आय को हिसाब में लेने पर 489.44 लाख रु. के समग्र लाभ में परिवर्तित हो जाएगी।

(iii) लंदन शाखा में बीमांकन हानि में ब्याज आय और पुनर्बीमा वसूलियों के साथ 1992-93 तक 2189 लाख रु. निवल हानि की कमी हो जाएगी। शाखा की मौजूदगी पुनर्बीमा स्थानन, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रचालनों के लिए बैंक आय और सर्विसिंग प्राप्त करने और ई ई सी देशों तक पहुंच उपलब्ध कराने में सहायक रही है।

11.4 कम्पनी के विदेशी प्रचालनों के देशवार निष्पादन पर नीचे चर्चा की जा रही है:

जापान

कम्पनी के प्रचालनों से 1993-94 तक पांच वर्षों के दौरान 3533.47 लाख रु. की समग्र हानि का पता चला। कम्पनी को 1990-91 से 1993-94 के दौरान भारी हानियां हुई और 1988-89 तथा 1989-90 में अधिशेष दर्शाया गया। 1988-89 से 1991-92 के दौरान कम्पनी का लागत अनुपात समग्र रुप (तकरीबन 37) में जापानी बाजार से काफी अधिक था (46 से 54.6 तक)। प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि अधिक लागत अनुपात जापानी बाजार में मिनिस्कयूल शेयर के कारण रहा।

सऊदी अरब

1993-94 तक पांच वर्षों के लिए सऊदी अरब की एजेंसी के प्रचालनों से 1989-90 और 1991-92 को छोड़कर आवर्ती हानियों का पता चला जो एजेंटों के असंतोषजनक निष्पादन और एजेंसी तथा कम्पनी के प्रतिनिधि के बीच सहयोग के अभाव के कारण रहीं थी (नवम्बर 1988)। कम्पनी ने 1 जनवरी 1989 से नए एजेंट नियुक्त किए थे। नए एजेंटों की नियुक्ति के बाद भी, प्रचालनों में बीमांकन हानि पता चली। तथापि वर्ष 1991-92 में परिचालन परिणामों से सीमान्त रुप से सुधार का पता चला।

फ्रांस

फ्रांस में एजेंसी के प्रचालनों में 1985 और 1992-93 को छोड़कर 1985 से 1992-93 तक के सभी वर्षों में 1.90 लाख रु. से 200.00 लाख रु. की हानियां हुईं। इस अवधि के दौरान प्रीमियम के प्रति किए गए दावों की वार्षिक प्रतिशतता 52 प्रतिशत से 232 प्रतिशत तक थी। तथापि पैरिस की एजेंसी 31 दिसम्बर 1992 से समाप्त कर दी गयी थी।

फिलिपीन्स

1993-94 तक पांच वर्षों के लिए फिलिपीन्स में प्रचालनों के परिणामस्वरुप 35.00 लाख रु. (1988-89) से 1993-94 में 466.00 लाख रु. तक हानियां हुई। हानियां कुछेक बड़े अग्नि दावों के कारण हुई थीं (अक्तूबर 1989) और कम्पनी ने एजेंटो तथा 1986 से पहली अवधि से सम्बन्धित 31.06 लाख रु.

तक पुनर्बीमा कम्पनियों से देय शेषों को बट्टे खाते डाल दिया था क्योंकि उन्हें वसूली न किए जा सकने योग्य मान लिया गया था।

यूनाइटेड किंगडम (यू.के.)

1989-90 से 1993-94 तक यू.के. में प्रचालनों के परिणामस्वरूप 4580.55 लाख रु. की संचित हानि हुई। पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल प्रीमियम के प्रति कुल किए गए दावे 115.75 प्रतिशत थे। इसमें सबसे अधिक 1993-94 में 148.50 प्रतिशत था। प्रबन्धन ने 3 मिलियन पौंड के न्यायालय के अवार्ड के कारण आपत्ती हानियों और विविध पोर्टफोलियों में अधिक दावा अनुपात के कारण बीमांकन हानि बताई (सितम्बर 1994)।

आस्ट्रेलिया

सिडनी शाखा द्वारा स्थानीय पुनर्बीमा कारबार स्वीकार करने के अलावा किसी प्रत्यक्ष कारबार का बीमांकन नहीं किया जाता है। प्रबन्धन ने इसके जारी रहने या पुनर्बीमा कारबार स्वीकार करने के लिए इस शाखा पर अन्यथा विचार नहीं किया है। प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि (i) यह इसलिए था क्योंकि अन्य शाखाओं के असमान आस्ट्रेलिया में कोई गैर इसाई भारतीय नहीं थे जिन पर कारबार की नाजुक प्रमात्रा उत्पादित करने पर विश्वास किया जा सकता था और (ii) पुनर्बीमा के संपर्क के अनुकूल और कम खर्चीला होने के कारण मौजूदगी लाभप्रद थी।

थाइलैंड

पिछले आठ वर्षों के लिए थाइलैंड में प्रचालनों में यह दर्शाया गया कि बीमांकन लाभ, जो 1988-89 के दौरान अधिकतम 39.58 लाख रु. था, में अनुवर्ती गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी गयी है और परिणामस्वरूप 1993-94 में 164.0 लाख रु. की बड़ी हानि हुई। 48,394,737 रु. बाहर की प्रीमियम राशि 31 मार्च 1994 को बकाया पड़ी थी।

कनाडा

कनाडा में प्रचालन व्यावहारिक रुप से निष्क्रिय था। सभी वर्षों में प्रीमियम संग्रहण नकारात्मक था। प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि ज्योंही सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के एक प्रसिद्ध स्थानीय हिस्सेदार के साथ करार को अंतिम रुप दिया जाएगा त्योंही प्रचालन पुनः आरम्भ किए जाएंगे।

सिंगापुर में प्रचालन

वर्ष 1987 तक कम्पनी सिंगापुर में भी शाखा का प्रचालन कर रही थी जिसके परिणामों में वर्षानुवर्ष परिवर्तन आता रहा था। जबकि इसने 1988-89 (रन आफ समायोजन) में 91 लाख रु. का लाभ अर्जित किया इसने 1989-90 (रन आफ समायोजन) में 72 लाख रु. की हानि दर्शायी।

11.5 मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि नियमित समीक्षा और सुधारात्मक उपाय, जहां कहीं अपेक्षित हों, करके विदेशी प्रचालनों का सूक्ष्म मानीटरन किया जाता है। विदेशी शाखाओं, जो लम्बे समय तक अपने निष्पादन में सुधार करने में विफल रही हैं, पर मंत्रालय ने बताया कि उपयुक्त कार्रवाई के लिए ऐसी विदेशी शाखओं का पता लगाया जा सकता था।

11.6 एजेंसियों और शाखाओं के अलावा, कम्पनी निम्नलिखित सम्बद्ध और सहायक कम्पनियों में साझीदार है।

प्रेस्टिज इंश्योरेंस कम्पनी (नाइजीरिया) लिमिटेड

सम्बद्ध कम्पनी अच्छे परिणाम दर्शा रही थी। बीमांकन लाभ 1988 में 18.77 लाख नेरा से धीरे धीरे बढ़कर 1994 मे 58.75 लाख नेरा हो गया। तथापि वर्ष 1993 में 93.09 लाख नेरा की हानि का पता चला।

न्यू इंडिया एश्योरेंस (घाना) लिमिटेड

कम्पनी स्थानीय आर्थिक और राजनैतिक स्थिति के कारण असंतोषजनक दौर से गुजर रही थी। बीमांकन कारबार के परिणामों में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चला और 1988 में 14.22 लाख सिडीस के लाभ से 1993 में 145.23 लाख सिडीस की हानि हुई।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी (सिअरालिओन) लिमिटेड

कम्पनी ने सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण शेयर पूंजी धारित की। 1993-94 तक पांच वर्षों के दौरान बीमांकन कारबार के परिणामों में लाभ दर्शाया गया जो 1990 में 6.98 लाख ली से 1994 में 594.03 लाख ली हो गया।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी (त्रिनीदाद एंड टोबेगो) लिमिटेड

पिछले पांच वर्षों के लिए कम्पनी के कार्य चालन परिणामों में बीमांकन लाभों की गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी गयी। यह 1990 में 0.78 लाख टी टी डालर से 1994 में 21.72 लाख टी टी डालर की हानि तक थी।

इस सम्बन्ध में मल्होत्रा समिति ने पाया (जनवरी 1994) "सम्बद्ध/सहायक कम्पनियों का निष्पादन सतोषजनक से लेकर सुसंगत रूप से निराशाजनक है।"

12. पुनर्बीमा

12.1 बीमा कम्पनियां अन्य बीमा कम्पनियों को उनके द्वारा बीमांकित जोखिम के एक भाग का संविभाजन करती हैं ताकि हानि की स्थिति में इसे सम्मत अनुपात में कम्पनियों के बीच बांटा जा सके। इसे पुनर्बीमा कहा जाता है। जबकि अर्पित की गयी राशि को "अर्पण" कहा जाता है इसलिए स्वीकृत राशि स्वीकृति कहलाती है। कम्पनी पुनर्बीमा स्वीकृतियों के द्वारा विदेशी बीमा कम्पनियों से सेशन भी प्राप्त करती है। निम्न तालिका 1993-94 तक पांच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा दिया गया और स्वीकृत कुल प्रीमियम दर्शाती है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	स्वीकृत पुनर्बीमा	सेशन राशि	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की प्रतिशतता	कुल पुनर्बीमा प्रचालन
1989-90	57.85	258.85	40	316.70
1990-91	65.44	348.15	42	413.59
1991-92	91.90	384.73	39	476.63
1992-93	147.05	539.94	46	686.99
1993-94	124.49	617.71	45	742.20

12.2 निवल प्रतिधारण

निगमित योजना में दी गयी रूपरेखा में कम्पनी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निवल प्रतिधारित प्रीमियम को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय व्यवहार्य पुनर्बीमा व्यापार करना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना है।

सकल देशी प्रीमियम स्वीकत/प्रदत्त पुनर्बीमा, निवल प्रदत्त और निवल प्रतिधारण के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सकल देशी प्रीमियम (स दे प्री)	स्वीकृत पुनर्बीमा	प्रदत्त पुनर्बीमा	निवल प्रदत्त (4-3)	निवल अवरोधन (2-5)	स दे प्री के प्रति निवल अवरोधन की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
1989-90	648.13	57.85	258.85	201.00	447.13	68.99
1990-91	837.22	65.44	348.15	282.71	554.51	66.23
1991-92	983.02	91.90	384.37	292.13	690.19	70.21
1992-93	1175.06	147.05	539.94	392.89	782.17	66.56
1993-94	1362.63	124.49	617.71	493.22	869.41	63.80

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाय कि सकल देशी प्रीमियम के प्रति निवल प्रतिधारण की प्रतिशतता वर्षानुवर्ष बदल रही है। प्रबन्धन ने बताया (तालिका 1994) कि (i) कुछ वर्षों में निवल अवरोधित प्रीमियम प्रतिशतता में परिवर्तन आ सकता है जब उपग्रह, बड़े पेट्रो-रसायन या इंजीनियरी परियोजनाओं जैसे प्रमुख भारतीय जोखिम विदेश में वैकल्पिक रूप से बीमाकृत किए जाने थे और (ii) उचित सुरक्षा प्राप्त करना पहली मूल आवश्यकता थी तथा अवरोधन को बढ़ाया जाता रहेगा। प्रबन्धन ने आगे बताया कि विश्व में निरन्तर बडी महाविपत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में पुनर्बीमा परिणाम प्रतिकूल थे और कम्पनी ने अपनी आवक पुनर्बीमा स्वीकृति को सतर्क और अनुदार नीति के रूप में सीमित कर दिया था तथा इसने निवल अवरोधन में कमी कर दी यद्यपि कुल स दे प्री के प्रति प्रतिशतता के रूप में प्रगति संतोषजनक थी।

निम्नलिखित तालिका 1993-94 तक पांच वर्षों के लिए कारबार की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कुल भारतीय सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और निवल प्रतिधारित प्रीमियम तथा सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रति इसकी प्रतिशतता को दर्शाती है।

(करोड़ रु. में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1. **आग**					
सकल प्रत्यक्ष					
प्रीमियम	16952	20727	25448	31711	37410
निवल प्रीमियम	10538	10217	16436	19461	20480
प्रतिशतता	62.16	49.29	64.59	61.37	54.74
2. **समुद्री कार्गो**					
सकल प्रत्यक्ष					
प्रीमियम	9075	11195	14095	16262	17790
निवल प्रीमियम	6188	8286	10455	11606	12023
प्रतिशतता	68.18	74.01	74.17	71.37	67.58
3. **समुद्री पेटा**					
सकल प्रत्यक्ष					
प्रीमियम	2261	2433	3487	6095	6317
निवल प्रीमियम	1292	1057	1261	1182	723
प्रतिशतता	7.14	43.44	36.16	19.38	11.45

4. **विविध**

सकल प्रत्यक्ष					
प्रीमियम	36525	49367	55272	63438	74745
निवल प्रीमियम	26695	35891	40867	45968	53714
प्रतिशतता	73.09	72.7	73.94	72.46	71.86

जोड़

सकल प्रत्यक्ष					
प्रीमियम	64813	83722	98302	117506	136263
निवल प्रीमियम	44713	55451	69019	78217	86940
प्रतिशतता	68.99	66.23	70.21	66.56	63.80

विविध पोर्टफोलिओं में सकल देशी प्रीमियम के प्रति निवल अवरोधित प्रीमियम का न्यूनाधिक समानुपात रखा गया था।

12.3 पुनर्बीमा कार्यक्रम

कम्पनी द्वारा अनुसरण किये जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम की सा बी नि द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से पहले ही रूपरेखा तैयार की जाती है। कार्यक्रम के अनुसार, कम्पनी अग्नि, समुद्री काग्रो, पेटा, इंजीनियरी और विविध बीमा कारबार जो उन पर निर्धारित सीमा के अध्ययधीन उनके द्वारा बीमांकित है, के सम्बन्ध में अपने वेशी समझौते कर सकती है (वेशी समझौते पारस्परिक या गैर पारस्परिक आधार पर समुद्रपार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ किए जाते हैं)

कम्पनी के निवल अवरोधित जोखिम आगे हानि के आधिक्य द्वारा सुरक्षित होते हैं। यह आधिक्य पूरे बाजार के लिए सा बी नि द्वारा समुद्री पेटा को छोड़कर कारबार की सभी श्रेणियों के लिए है। पुनर्बीमा कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वचालित पुनर्बीमा सीमाओं से अधिक मूल्य वाले बहुत भारी जोखिम समुद्रपार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ "वैकल्पिक व्यवस्था" द्वारा सुरक्षित होते हैं।

सेशन के असमान सीमा और अरक्षितता जिस तक जोखिम स्वीकार किया जा सकता है का पता लगाने के लिए कम्पनी का प्रत्येक पोर्टफोलियों में स्वीकृति के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जनवरी 1994) कि उनके पास कारबार की श्रेणी, समझौते के प्रकार और क्षेत्र पर आधारित मौद्रिक सीमाओं को बताते हुए स्वीकरणों के लिए दिशानिर्देश थे।

12.4 विदेशी मुद्रा में लाभ और अपक्षय

पांच वर्षों के लिए समुद्रपार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ कम्पनी द्वारा की गयी विभिन्न बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर नकद आधार (कम्पनी और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिधारित आरक्षित निधियों का ध्यान में रखे बिना) पर मुद्रा में लाभ या अपक्षय निम्नानुसार है:-

(क) जावक कारबार (लाख रु. में)

वर्ष	प्रीमियम	कमीशन	किए गए दावे	शेष
1989-90	6220.61	1878.42	5283.13	940.94 ला
1990-91	7334.80	2272.79	4665.41	396.60 अ
1991-92	5442.83	1518.27	5718.54	1793.98 ला
1992-93	10448.00	3337.00	2338.00	4773.00 अ
1993-94	11068.00	3056.00	8143.00	131.00 ला

(ला: लाभ, अ: अपक्षय)

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि जावक कार्यक्रम सा बी नि द्वारा तैयार किया गया था और प्रीमियम का सेशन तथा दावों की वसूलियां तदनुसार की गयी थीं। यह भी बताया गया था कि सामान्य वर्षों में, चूंकि प्रीमियम दावा वसूली से अधिक होगा अतः इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा अपक्षय होगा, केवल उन वर्षों में जिनमें वसूली प्रदत्त प्रीमियम से अधिक थी उनमें परिणामतः लाभ होगा।

(ख) आवक कारबार (लाख रु. में)

वर्ष	प्रीमियम	कमीशन	किए गए दावे	शेष	समग्र लाभ/अपक्षय (आवक और जावक)
1989-90	6287.80	1961.62	3465.23	860.95 ला	1801.89 ला
1990-91	7632.68	2325.19	7760.32	2452.83 अ	2849.42 अ
1991-92	10260.62	3229.40	9843.99	2812.77 अ	1018.79 अ
1992-93	7832.00	2864.00	11662.00	6694.00 अ	11467.00 अ
1993-94	11253.00	3168.00	12284.00	4199.00 अ	4068.00 अ

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि आवक समझौतों पर प्रीमियम शीघ्र ही बुक किए गए थे जबकि दावे एक वर्ष के बाद या इसी प्रकार कभी-कभी कई वर्षों बाद किए गए थे। इसके अलावा यह बताया गया कि चूंकि रुपया करंसी में अधिकतर अन्य मुख्य करंसियों के प्रति तेजी से मूल्यह्रास हो रहा था इसलिए विदेशी मुद्रा की स्थिति उस समय प्रतिकूल हो गयी जब दावों को बुक किया गया और उनका निपटान किया

गया। यह भी बताया गया कि यद्यपि उन्होंने एक अप्रैल 1991 से आवक और गैर पारस्परिक कारबार का बीमांकन रोक दिया था और इस प्रकार इस कारबार के लिए प्रीमियम का कोई आगमन नहीं था। वे अभी रन-आफ पोर्टफोलिओ पर दावों को प्राप्त करना जारी रखेंगे इससे पुनः विदेशी मुद्रा अपक्षय स्थिति उत्पन्न होगी।

12.5 समझौते

12.5.1 1993-94 तक पांच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा स्वीकृत या रद्द किए गए समझौतों की संख्या निम्न प्रकार थी:

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
आग					
कुल संख्या	797	733	462	60	55
नए स्वीकरण	164	27	8	--	--
रद्दीकरण	102	91	279	402	5
समुद्री					
कुल संख्या	220	188	160	39	35
नए स्वीकरण	12	7	3	--	--
रद्दीकरण	49	39	31	121	4
विविध					
कुल संख्या	308	237	207	42	32
नए स्वीकरण	18	6	9	--	--
रद्दीकरण	84	77	39	165	10
जोड़	1325	1158	829	141	122

वर्ष 1987 में कम्पनी ने नए अधिक बड़ी संख्या में नए समझौते स्वीकार किए जिनमें से अधिकांश को वर्ष 1989-90 में रद्द कर दिया गया था। नए स्वीकारणों की संख्या रद्दीकरणों के प्रति वर्ष 1990-91 में तुलनात्मक रुप से कम थी। प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि 1987 से महाविपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे हानियां होनी शुरु हो गयीं। 1991 के बाद कारबार मात्र सा बी नि द्वारा ले लिया गया।

12.5.2 बीमा की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में पिछले पांच वर्षों (1988-89 से 1992-93) कि लिए जावक समझौतों (सेशन) और आवक स्वीकरणों में कम्पनी के समग्र परिणाम नीचे दिए गए है:-

(लाख रु. में)

		सेशन	स्वीकरण		जोड़
बीमा की श्रेणी	प्रदत्त प्रीमियम	समझौते का शेष	स्वीकृत प्रीमियम	समझौते का शेष	लाभ/अपक्षत
आग	70062.32	6445.85 अ	58330.85	1921.16 अ	8367.01 अ
समुद्री कार्गो	17172.38	5119.23 अ	3038.22	2213.62 अ	7332.85 अ
समुद्री पेटा	8441.87	181.29 अ	4873.74	543.77 अ	725.06 अ
विविध	63704.36	2255.04 ला	10286.99	682.02 ला	2937.06ला
जोड़	159380.93	9491.33 अ	76529.80	3996.53 अ	13487.86 अ

अग्नि और समुद्री कारबार के मामले में समग्र अपक्षय द्वारा पिछले पांच वर्षों में कम्पनी के पुनर्बीमा प्रचालनों पर समग्र अपक्षय रहा था। दोनों ने ही सेशन और स्वीकरणों में प्रतिकूल परिणाम दर्शाए। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि विदेशी मुद्रा में निरन्तर अपक्षय मुख्यतया बाह्य पर्यावरण अर्थात् प्राकृतिक महाविपत्तियों की श्रृंखला जिससे विश्व बीमा और शीघ्र अनुक्रम में पुनर्बीमा बाजारों पर प्रभाव पड़ा, के कारण रहा।

12.5.3 कम्पनी के पुनर्बीमा प्रचालनों में भारत से बाहर विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनियों और सा बी नि की अन्य सहायक कम्पनिनयों के साथ पारस्परिक और गैर पारस्परिक व्यवस्थाएं शामिल थीं। परस्परिक व्यवस्थाओं पर स्थानन और स्वीकरणों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा अलग आंकड़े नहीं रखे जाते है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या निवल परिणाम बराबर शेषों को दशति हैं और असतुंलन में कैसे सुधार किया जाता है। कुछ मामलों में, कम्पनी उनके सेशन के प्रति पुनर्बीमाकर्ताओं से रेटरो सेशन स्वीकार करती है। इसके परिणामस्वरुप, समग्र अरक्षितता सुनिश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा स्वीकरण भी ठेका लेते समय असुनिश्चित थे। हाल में प्रतिकूल परिणामों को दशनि वाले समझौते के लिए यह एक सहायक घटक है।

पहली अप्रैल 1991 से, सभी गैर पारस्परिक स्वीकरण सा बी नि के स्तर पर किए जाते हैं और प्रीमियम सभी सहायक कम्पनियों तथा सा बी नि के द्वारा 20 प्रतिशत प्रति की दर पर समान रुप से बाटा जाता है।

12.5.4. यद्यपि पुनर्बीमा या तो प्रत्यक्ष रुप से या दलालों के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है तथापि कम्पनी प्रत्यक्ष रुप से पुनर्बीमाकर्ताओं को कहने की बजाय अधिकतया दलालों पर निर्भर थी। प्रबन्धन ने इस बात पर जोर दिया (दिसम्बर 1992) कि प्रसिद्ध दलालों की सेवाएं आवश्यक थीं क्योंकि केवल वे ही विश्व के

विभिन्न भागों, जहां उनके कारबार सम्बन्ध हो सकते थे, में उचित सूरक्षा का पता लगाने मे आवश्यक निपुणता रखते थे। आगे यह बताया गया (जनवरी 1994) कि लायडस जैसी कतिपय बीमा कम्पनियों दलालों के माध्यम के सिवाय लेन देन नहीं करेंगी।

12.5.5 1989 से 1993 के दौरान अलग अलग दलालों को प्रदत्त प्रीमियम के प्रति दलाली की प्रतिशतता में 0.77 से 4.44 तक अन्तर था। पिछले वर्षों के लिए प्रदत्त दलाली के आंकड़े कम्पनी द्वारा नहीं भेजे गए थे। कम्पनी की विभिन्न कारबार में कार्य करने वाले दलालों जिनके माध्यम से पुनर्बीमा कारबार किया जा सकता है, के एमपैनलमैंट की कोई प्रणाली नहीं है। अलग-अलग दलालों द्वारा अधिप्राप्त कारबार की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए कोई आंकडे नहीं रखे जाते हैं। प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि दलालों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग समझौते निधारित किए गए थे और दलालों की वित्तीय तथा बाजार पकड़ और उसके द्वारा दी गयी सेवाओं को हिसाब में लिया गया।

13. निवेश

13.1 प्रीमियम आय, मूल्यह्रास जैसे गैर नकदी प्रभारों, असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि तथा अवितरित लाभों सहित अन्य आरक्षित निधि से उत्पन्न निधियां बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ख की रुपरेखा के अन्दर और समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरुप अनुमोदित और अननुमोदित निवेशों के विभिन्न प्रकारों में निवेशित की जा रहीं हैं।

13.2 सरकार बीमा कम्पनियों के पास उपलब्ध निधियों के निवेश के तरीके के सम्बन्ध में समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करती रही है। एक जनवरी 1978 से प्रभावी तरीका इस प्रकार है:-

(क) निधियों के समाजोन्मुख क्षेत्र		अभिवृद्धि की प्रतिशतता
(1) (क) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां		12.5
(ख) 1.1.1987 से केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में से निवेश किए जाने वाले 12.5% की सीमा तक विशेष निक्षेप राज्य सरकार।		12.5 25
(2) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी की गई अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ बंधपत्र/ डिबेंचर		10
(3) (क) सामाजिक आवास कार्यक्रम आदि की बाबत राज्य सरकार को कर्जे	20	
(ख) हुडकों आदि को कर्जे	15	35

(ख) **बाजार क्षेत्र**

(4) बाजार निवेश

(अर्थात मियादी कर्जे, डिबेंचर, इक्विटी	30
अधिमान आदि)	100

13.3 1993-94 तक पांच वर्षों के दौरान निवेश की गई सकल राशि, अर्जित आय और औसत निधियों पर प्रतिफल का सार नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सकल निवेश (वर्ष की समाप्ति पर)	आय	औसत प्रतिफल निधियों पर	मुद्रास्फीति की दर (आधार 1981-82 = 100)
1989-90	1130.64	122.23	11.73	7.5
1990-91	1419.61	156.59	12.28	10.3
1991-92	1788.44	212.17	13.22	13.6
1992-93	2171.88	250.64	12.66	10.1
1993-94	2648.36	276.25	11.46	8.4

(अचल सम्पत्ति आवास के लिए स्टॉफ को कर्जों में निवेश को छोड़कर निवेश)

13.4 सामान्यतया निवेश पर प्रतिफल मुद्रास्फीति में वृद्धि होने के साथ साथ प्राप्त नहीं हुआ। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि निवेश पर प्रतिफल की संकल्पना में न केवल लाभांश के रूप में प्राप्त आय को शामिल किया गया है बल्कि निवेश की बाजार मूल्यवृद्धि को भी शामिल किया गया है।

13.5 1993-94 तक पांच वर्षों के वार्षिक उपचयों में से विभिन्न श्रेणियों में कम्पनी का निवेश निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

निवेश के प्रकार	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	जोड़
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	18.96 (10.66)	51.17 (18.74)	37.89 (10.27)	49.02 (12.78)	107.59 (22.58)	264.63 (15.75)

2. राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ बंधपत्र/डिबेंचर	23.03 (12.95)	28.10 (10.29)	29.33 (7.95)	52.24 (13.62)	20.83 (4.37)	153.53 (9.14)
3. आवास और अग्निशमन उपकरणों की खरीद की बाबत राज्य सरकार को कर्जे						
4. हुडको/डी डी ए को कर्जे और भारत सरकार में विशेष निक्षेप)	62.08 (34.89)	65.84 (24.11)	108.32 (29.37)	101.19 (26.39)	191.17 (40.12)	528.60 (31.47)
5. बाजार क्षेत्र	73.83 (41.50)	127.95 (46.86)	193.29 (52.41)	180.99 (47.21)	156.89 (32.93)	732.95 (43.63)
जोड़	**177.90**	**273.06**	**368.83**	**383.44**	**476.48**	**1679.71**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दशति हैं)

13.6 1993-94 को समाप्त होने वाले इन सभी वर्षों के दौरान समाजोन्मुख क्षेत्र में निवेश असाधारण रुप से 70 प्रतिशत था। विशेषत: 1993-94 तक आवास और अग्निशमन उपकरणों की बाबत राज्य सरकार को दिए गए कर्जे, हुडको/डी डी ए को दिए गए कर्जे 35 प्रतिशत की विहित प्रतिशतता से काफी कम हो गए थे। 1993-94 को छोड़कर सभी वर्षों के लिए इस क्षेत्र के लिए आशमित निधियों को बाजार क्षेत्र, जिन्होने उसके विहित 30 प्रतिशत से अधिक निवेश को दर्शाया है, में परिवर्तित किया। मंत्रालय ने बताया (जून 1995) कि कमियों को योजना अवधि के लिए वर्षानुवर्ष अग्रेनीत किया जाता हैं और यदि राज्य सरकारें ऐसा करने की स्थिति में है तो वे पूर्ववर्ती कमियों को बाद के वर्षों में उठा सकती है। आगे यह बताया गया कि कमी को पूरा करने के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बाबत, कम्पनी अन्य क्षेत्रों को विनिधान नहीं कर सकी और ऐसी निधियों को अल्पकालीन किश्तों, जो कि "बाजार क्षेत्र" वर्ग के अन्तर्गत नहीं आती है, में एकत्रित किया था और उन्हें अग्रेनीत किया तथा उत्तरवर्ती वर्ष की अभिवृद्धियों में जोड़ा था। तथापि इसे 1985 से 1993-94 तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक पोर्टफोलियों के अन्तर्गत संचयी निवेश की स्थिति से स्पष्ट नहीं किया जाता है जैसाकि अनुबन्ध V में दर्शाया गया है। बाजार क्षेत्र में कुल निवेश नियत 30 प्रतिशत से हमेशा ही

अधिक रहा।

13.7 लोक उपक्रम समिति (आठवीं लोक सभा) ने अपनी 23वीं रिपोर्ट में यह मत भी दिया था कि प्रतिमान विहित करने या निवेश करने की बाबत दिशानिर्देश निर्धारित करने के महज प्रयोजन को समाप्त किया जाएगा यदि इनका अनुपालन नहीं किया गया।

उपर्युक्त विरुपण के कारणों में से एक कारण यह था कि सरकार ने वित्त वर्ष 1 जनवरी 1988 से उसी क्षेत्र के अन्तर्गत इक्विटी शेयरों के बिक्री आगम और डिबेंचर/अधिमान शेयरों के प्रतिदान/पुनअदायगी आगम के 50 प्रतिशत के पुनर्निवेश की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1989 से, सरकार ने उसी श्रेणी में इक्विटी के सम्पूर्ण बिक्री आगम और डिबेंचर/अधिमान शेयर के प्रतिदान/पुनअदायगी आगम के पुनर्निवेश में छूट दी और अनुमत किया। अत: इक्विटी शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री से अधिमान शेयरों/डिबेंचरों के प्रतिदान से आगम विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निवेश करने के प्रयोजन से वार्षिक उपचयों से काटे जाते हैं।

यदि यही प्रवृत्ति जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो आवास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निवेश पर महती जोर देने की सरकारी नीति को समाप्त किया जाएगा।

13.8 केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां

13.8.1 बोर्ड को प्रस्तुत निवेश की वार्षिक समीक्षा में दर्शाए गए अनुसार वास्तविक अभिवृद्धि और केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में वास्तविक निवेश नीचे दर्शाए अनुसार है:

(करोड़ रु. में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	जोड़
(i) अभिवृद्धि	177.90	288.97	368.83	383.44	476.48	1695.62
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	18.96	51.17	37.89	49.02	107.59	264.63
विशेष निक्षेप	15.00	15.00	40.63	40.91	--	111.54
जोड़	33.96	66.17	78.52	89.93	107.59	376.17
प्रतिशतता	19.09	22.90	21.29	23.45	22.58	22.18

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश हर साल एकसमान नहीं था और यह दिशानिर्देशों में दर्शाए अनुसार 1993-94 तक 25 प्रतिशत कम रहा था। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए गए अधिकांश निर्गमों और प्रत्येक के सामने कम्पनी द्वारा किए गए अभिदान का प्रमात्रा से सम्बन्धित कोई रिकर्ड नहीं रखे जाते हैं। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 1993) कि केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश मुख्यत: समान नहीं

था क्योंकि (i) निवेश अनुमानित अभिवृद्धि जो वास्तविक आंकड़ों से सर्वदा भिन्न रही थी, के आधार पर किया गया था (ii) पिछले वर्ष के अधिशेष/कमियों को उत्तरवर्ती वर्ष में समायोजित किया गया।

13.9 राज्य सरकार को प्रतिभूतियों और आवास तथा बंधपत्र के लिए राज्य सरकार को कर्जे

1993-94 तक पांच वर्षों के अन्त में इस श्रेणी के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा किए गए निवेश के शेष निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
(i) राज्य सरकार की	125.89	154.38	183.71	235.95	256.78
प्रतिभूतियां	(11.13)	(10.87)	(10.27)	(10.86)	(9.70)
(ii) सा क्षे उ के बंधपत्र					
आवास के लिए राज्य					
सरकार को कर्ज/हुडको	191.28	212.12	219.35	255.54	337.71
विशेष निक्षेप	145.00	190.00	209.37	274.09	424.00
	336.28	402.12	428.72	529.63	761.71
	(29.74)	(28.32)	(23.97)	(24.39)	(28.76)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता के द्योतक हैं)

31 मार्च 1994 के अन्त में आवास और अग्निशमन उपकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों के ब्यौरे अनुबन्ध VI में दिए गए हैं। 1993-94 तक 21 राज्यों को संवितरित 168.08 करोड़ रु. के कर्जे की कुल राशि के 78 प्रतिशत (131.99 करोड़ रु.) सात राज्यों द्वारा हिसाब रखा गया था। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे मुख्य राज्यों को आवास के लिए कोई कर्ज संवितरित नहीं किया गया। इसी प्रकार छः राज्यों ने अग्निशमन उपकरण खरीदने के लिए संवितरित कुल कर्ज का 60 प्रतिशत प्राप्त किया।

लोक उपक्रम समिति (आठवीं लोक सभा) ने अपनी छठी रिपोर्ट (1985-86) में देखा कि अन्य राज्यों के हितों की अवहेलना करते हुए कुद राज्यों को पक्ष लेना अनुचित था। उसने इच्छा जाहिर की कि सभी राज्यों में आवास योजनाओं को समान रुप से बढ़ाने के शीघ्र प्रयास किए जाएं और राज्यों के विस्तार को ध्यान में रखकर आवास योजनाओं की बाबत राज्यों को कर्ज का समान संवितरण सुनिश्चित करने के संबंध में कार्रवाई की जाए।

13.10 मीयादी कर्जे:

1993-94 तक पांच वर्षों के अन्त में मीयादी कर्जों में निवेश और उनकी स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रु. में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
निवेश	38.50	60.64	69.11	79.54	82.27
आय	3.61	4.68	9.82	11.23	12.98
औसत निधियों पर प्रतिफल	10.3	9.4	15.1	15.1	16.0

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 1993) कि यदि उधारकर्ता कम्पनियों में से किसी कम्पनी के समक्ष समस्याएं आ रही हैं तो सा बी नि के माध्यम से संघीय सहायता का पक्षकार होने के कारण उस कम्पनी को राहत और रियायत देने में प्रमुख संस्थाओं का अनुपालन करना होता है।

13.11 बिल पुनर्भुनाई योजना

13.11.1 प्रत्येक वर्ष के अन्त में बिल पुनर्भुनाई योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेशों की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	निवेश (करोड़ रु. में)	आय (करोड़ रु. में)	औसत निधियों पर प्रतिशतता प्रतिफल
1989-90	54.82	8.96	18.0
1990-91	123.17	22.54	25.3
1991-92	242.75	42.30	23.1
1992-93	78.00	22.01	13.7
1993-94	25.00	4.93	9.6

1991-92 के अन्त में बि पु यो में किए गए निवेश से सर्वदा 242.75 करोड़ रु. अधिक का पता चला जबकि इसी से 1993-94 में 25 करोड़ रु. कम का पता चला। बिल पुनर्भुनाई योजना में निधियां लगाते समय कम्पनी विनिमय बिलों जिस पर स्थानन किए गए थे, केवास्तविक ब्यौरे देने पर जोर नहीं दे रही हैं और उसने बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर विश्वास किया। प्रबन्धन ने आगे बताया (जून 1995) कि चूंकि

अल्पकालीन अधिशेष निधियां भा रि बै द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार बैंकरों के पास रखी जाती है परन्तु ये संव्यवहार भा रि बैं जो केवल बैंक द्वारा प्रमाण पत्रों के निर्गम की अपेक्षा रखता है न कि कम्पनी की ओर से बैंक द्वारा धारित बिलों के ब्यौरे देने की अपेक्षा रखता है, द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि स्थानन से समर्थित बिल बहुत अधिक होगे परन्तु यह न तो सम्भव है और न ही निवेशकों को धारित बिलों के ब्योरे रखने से कोई उपयोगिता होगी।

13.12 प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा

अगस्त, 1989 से कम्पनी (i) कम्पनी द्वारा खरीदी गईं/धारित प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा (ii) प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री को बाबत जारी सुर्पुदगी हिदायतों को पूरा करने और (iii) कम्पनी की ओर से आय के संग्रहण के लिए स्टाक होल्डिग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सो आई एल) की सेवाओं का उपयोग कर ही है। वर्ष 1989-90 से 1993-94 के लिए कम्पनी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रभार 154.08 लाख रु. थे।

कम्पनी के शुरू होने से इसकी सुरक्षित अभिरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं, जिसमें अन्य के साथ साथ प्रतिभूतियों/डिबंचर पर ब्याज का संकलन और शेयरों पर लाभांश शामिल था, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के पास थी। हाल में कम्पनी द्वारा शेयरों/डिबेचरों/प्रतिभूतियों की वास्तविक धारिता का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया और उसने प्रत्येक वर्ष के लेखाओं की अन्तिम तारीख को स्टॉक होल्डिग कारपोरेशन आफ इंडिया/सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र पर विश्वास किया। धारकों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में अभिरक्षा में रखे गए शेयरों की केवल कुल संख्या दर्शाई है और शेयरों/डिबेंचरों/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों की कोई अलग संख्या उनके सामने नहीं दी गई थी।

प्रबन्धन ने बताया कि (दिसम्बर 1993) कि धारित अधिसंख्य शेयरों/डिबेंचरों के कारण, अलग-अलग संख्याएं डालने पर जोर देना संभव नहीं था और यह कि जांच का कार्य एस एच सी आई एल को सौपा गया था और यही काम उनकी तरफ से एस एच सी आई एल ने द्वारा किया गया था। जांच न किए जाने की स्थिति में, कम्पनी के नाम में इन प्रतिभूतियों के वास्तविक अधिग्रहण को शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। प्रबन्धन ने आगे बताया (अगस्त 1995) कि एच एस सी आई एल की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष जांच का काम सनदी लेखाकारों की फर्म को सौंपा गया है।

13.13 गैर लाभांश अदायगी इक्विटी

31 मार्च 1994 को कम्पनी द्वारा किए गए कुल इक्विटी निवेश में से निम्नलिखित गैर लाभांश अदायगी इक्विटी शेयरें हैं।

(करोड़ रु. में)

अप्रदत्त लाभांश	कुल इक्विटी निवेश की प्रतिशतता	बही मूल्य	अंकित मूल्य
एक वर्ष	2.0	8.62	1.90
दो वर्ष	0.8	3.29	1.70
तीन वर्ष	0.6	2.63	0.55
चार वर्ष	0.2	0.81	0.97
पांच वर्ष और उससे आगे के वर्ष	1.2	4.89	8.03
जोड़	4.8	20.24	13.15

गैर लाभांश अदायगी शेयरों के 20.24 करोड़ रु. के बही मूल्य में से, 9.56 करोड़ रु. (47.23 प्रतिशत) के बही मूल्य का निवेश 1975 से पूर्व किया गया था। 10.68 करोड़ रु. (52.77 प्रतिशत) के बही मूल्य के साथ शेयर पिछले 15 वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए थे। 20.24 करोड़ रु. के कुल गैर लाभांश अदायगी इक्विटी पोर्टफोलियों में से तकरीबन 83.1 प्रतिशत का इंजीनियरी, वस्त्र, रसायन, फार्मास्युटिकल्स और उर्वरक उद्योगों द्वारा हिसाब रखा जाता है। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1995) कि 31.3.1993 को गैर लाभांश अदायगी इक्विटी पोर्टफोलियों के 12.16 करोड़ रु. में से 8.10 करोड़ रु. (67%) से अधिक बेहतर सम्भाव्यताओं की सम्भावना के साथ कम्पनियों में हैं। शेष 4.06 करोड़ रु. (33%) अपर्याप्त विपणन योग्यता के साथ कम्पनियों में निवेश का द्योतक है।

इसके अतिरिक्त यह बताया कि कम्पनी ने 8 लाख रु. बही मूल्य के गैर लाभांश अदायगी इक्विटी शेयर बेचे थे और 31.3.1995 को 39 लाख रु. का लाभ दर्ज किया तथा यह कि गैर लाभांश अदायगी इक्विटी पोर्टफोलियो पूर्णतः कम करना सम्भव नहीं था परन्तु इसे उन शेयरों की बिक्री की ध्यानपूर्वक आयोजना द्वारा कम किया जा सकता है।

13.14 निवेश को बट्टे खाते डालना

वर्ष 1987 से 1990-91 के दौरान 477.50 लाख रु. की बही मूल्य के निवेश को 300.33 लाख रु. की सीमा तक बट्टे खाते डाला गया था। इनमे राष्ट्रीयकरण के बाद प्राप्त 386.38 लाख रु. (बही मूल्य) मूल्य के निवेश शामिल किए गए थे और इन्हें 225.48 लाख रु. तक बट्टे खाते डाला गया था। प्रबन्धन ने बताय (जून 1995) है कि निवेशो को सा बी नि द्वारा जारी किए गए प्रतिमानों और दिशानिर्देशों के अनुसार बट्टे खाते डाला गया था।

13.15 शेयरों के अन्तरण में विलम्ब

कम्पनी ने दलाल के जरिए प्रत्येक 41.25 रु. की दर पर प्राइवेट क्षेत्र में एक कम्पनी "क" के 12000 शेयर खरीदे (मार्च 1982) और सुपुर्दगी होने पर इन शेयरों के लिए भुगतान करने को अपने बैंकरों को हिदायतें (4 मार्च 1982) दीं। जब ये शेयर कम्पनी "क" को अग्रेषित किए गए तो उन्होंने कम्पनी के नाम से 2000 शेयर अन्तरित (जून 1982) किए किन्तु शेष शेयर अन्तरित करने से मना कर दिया और उन शेयर प्रमाणपत्रों को रख लिया क्योंकि उनके पास शेयरों के विक्रेता के विरुद्ध धन वापसी का वाद था। उच्च न्यायालय ने 9 मार्च 1982 को एक आदेश पारित किया जिसमें फर्म द्वारा धारित शेयरों के हस्तान्तरण/अन्तरण से उस को रोका।

कम्पनी ने इस आधार पर कि दलाल या विक्रेता से शेयरों की प्रदत्त कीमत और उस पर ब्याज की वसूली के लिए खरीद 3/4 मार्च 1982 को पूरी की थी अर्थात जब वे न्यायालय के आदेश से काफी पहले या विकल्पत उन्हें खरीदने के लिए सहमत थे अपने नाम में पंजीकृत शेयर और उपचित लाभांश प्राप्त करने के लिए कम्पनी "क" दलाल और विक्रेता के विरुद्ध 1985 में एक वाद दाखिल किया।

कम्पनी 1985 और 1987 में जारी किए गए बोनस शेयरों (17,500) सहित कम्पनी "क" के 27500 शेयरों की हकदार है। अक्तूबर 1992 को उनका बाजार मूल्य 125.13 लाख रु. था। 1982 से 1992 तक उनका लाभांश 11.24 लाख रु. था। किन्तु मामला विचराधीन है।

13.16 न्यून खेप योजना

कम्पनी ने फरवरी 1988 में न्यूनखेपों में कम्पनियों के शेयरों की सीधी खरीद योजना शुरु की थी जो कि बीमा अधिनियम के अधीन "अनुमोदित निवेश" के अन्तर्गत आती है। न्यूनखेप शेयर कम्पनी द्वारा उसके प्रधान कार्यालय में खरीदे जाते हैं। 1993-94 तक कम्पनी ने 360.40 लाख रु. मूल्य के शेयर खरीदे थे।

यद्यपि न्यूनखेप शेयर योजना पूर्णतया बीमा कारबार के अन्तर्गत नहीं आती है तथापि कम्पनी ने लेखापरीक्षा बोर्ड को स्पष्ट बताया (मार्च 1994) था कि मूलतः योजना सुविधा या समाज सेवा के रुप में शुरु की थी क्योंकि कम्पनी को वित्तीय संस्था के रुप में समझा जाता था।

14. पूंजीगत व्यय

14.1 कार्यालय परिसर

नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि बम्बई में दो मामलों में कम्पनी ने पट्टा करार किया था परन्तु परिसर को या तो अप्रयुक्त छोड़ दिया गया था या उसका आंशिक उपयोग किया था जिसके परिणामस्वरुप 71.25 लाख रु. के बराबर निष्फल व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया कि परिसर का उपयोग उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं किया जा सका था। तथापि एक मामले में कम्पनी ने बकाया का निपटान

करते समय जमींदार से मुआवजा वसूल किया है।

14.2 रिहायशी आवास

यद्यपि कम्पनी ने रिहायशी फ्लैट खरीद लिए थे और उनका आधिपत्य प्राप्त किया परन्तु उसने अपने अधिकारियों को उनका आबंटन करने में तीन माह से सात वर्षों तक का लम्बा समय लिया।

करार की शर्तों में (क) आधिपत्य प्राप्त करने में विलम्ब की बाबत निर्णीत हर्जाने और (ख) बिल्डरों को प्रदत्त राशि पर प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से परिकलित शास्तिक ब्याज के भुगतान का प्रावधान था। कम्पनी ने न्यू बम्बई से सम्बन्धित दो करारों के गैर निष्पादन के लिए निर्णीत हर्जाने की बाबत 33.75 लाख रु. की वसूली के लिए दो बिल्डरों के विरुद्ध जुलाई 1989 में एक वाद दाखिल किया।

अन्य दो मामलों में भी बिल्डरों द्वारा कम्पनी को परिसर सौंपने में दो से बारह वर्षों तक का विलम्ब हुआ। इन मामलों में, बिल्डरों के साथ किए गए करारों में निर्णीत हर्जाने का कोई प्रावधान नहीं था। अभी तक अन्य मामले में पट्टाकर्ता के साथ एक भी औपचारिक करार नहीं किया गया। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि परिसर का उपयोग उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं किया जा सका था।

15. जनशक्ति विश्लेषण

15.1 कम्पनी की स्टाफ संख्या में श्रेणी II को छोड़कर कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में 1989-90 में 21336 से 1993-94 में 24541 तक की वृद्धि हुई थी।

वर्ष	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	जोड़	स्टाफ की वृद्धि की दर (%)
1989-90	3647	3923	10976	2790	21336	6.05
1990-91	3953	3641	12031	3082	22707	6.43
1991-92	4017	3723	12252	3158	23150	1.95
1992-93	4078	3605	12637	3177	23497	1.49
1993-94	4238	3576	12683	4044	24541	4.44

कम्पनी द्वारा कोई जॉब मूल्यांकन या कार्य अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु अध्ययन 1979 में सा बी नि की सहायक कम्पनियों के थोड़े से चयनित मंडलीय और शाखा कार्यालयों में वित्त मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार स्टॉफ निरीक्षण यूनिट (स्टा नि यू) द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर सा बी नि ने विभिन्न प्रचालन कार्यालयों में कोर स्टाफ की मांग के लिए निम्नलिखित प्रतिमान नियत किए थे:-

(i) नियंत्रक डी.ओ.: 12

(ii) बाजार/संयुक्त डी.ओ.: 15

(iii) टाइड डी.ओ.: 14

(iv) शाखा : 8

तथापि वास्तव में हुए कार्यभार के ब्यौरों के संदर्भ में कुल स्टाफ मांग निर्धारित करने के लिए कोई मापदण्ड नियत नहीं किए थे। बेशी स्टाफ और उनकी सेवाओं के इष्टतम उपयोग की बाबत उनके पुन: नियोजन के बारे में किए गए प्रश्न के उत्तर में, प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1995) कि कुछ कार्यालयों में कुछ बेशी स्टॉफ हो सकता था परन्तु अन्य शहरों/कस्बों में पता लगी कमी के प्रति उन्हें समायोजित करने में प्रशासनिक कठिनाईयां थीं। कम्पनी ने यह भी बताया कि 1989-90 से अधिदेशात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने को छोड़कर कोई नई भर्ती नहीं की गई थी और स्टाफ के नियोजन के सम्बन्ध में प्रयास किए जा रहे थे ताकि यथासमय अधिक स्टाफ की समस्या से निपटा जा सके।

16. ग्राहक सेवा

राष्ट्रीयकरण के समय चार बीमांकन कम्पनियों के निर्माण के पीछे मूलाधार उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना था। निम्नतालिका 1989-90 से 1993-94 तक के अन्त में पालिसियों के साथ निपटाए जाने वाले दावों से सम्बन्धित दस्तावेजों के निर्णम में बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(आंकड़े लाख रु. में)

वर्ष	कुल दस्तावेजों (पालिसियों) की संख्या		दावों की संख्या	
	कुल	बकाया	कुल	बकाया
1989-90	52.09	5.34 (10.25)	8.02	1.78 (22.16)
1990-91	52.58	3.43 (6.52)	8.54	1.75 (20.51)
1991-92	62.00	3.80 (6.13)	8.75	2.00 (22.86)
1992-93	67.67	4.40 (6.50)	8.91	1.84 (20.65)
1993-94	64.25	3.82 (5.95)	6.39	1.94 (30.36)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल बकाया की प्रतिशतता के द्योतक हैं)

31 मार्च 1994 को, 78688 दावे मोटर तीसरी पार्टी के मामले हैं जो कि न्यायालय में लम्बित पड़े हैं। इसमें से 28487 दावे तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। 31 मार्च 1994 को 37019 दावे (27247.55 लाख रु.) तीन वर्षों से अधिक समय से निपटान के लिए लम्बित थे। इसमें से 15644 दावे (11524.39 लाख रु.) पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। कम्पनी ने लेखापरीक्षा बोर्ड को स्पष्ट किया (मार्च 1994) कि अधिकांश बकाया दावे उनकी उपभोक्ता सेवा का प्रतिफलन नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिकतर मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे।

17. लेखा

17.1 निधियों का अन्तरण

यह देखा गया कि 25 मामलों में प्रधान कार्यालय में रखे केन्द्रीय संग्रहण लेखे में बैंकों द्वारा आधिक्य शेषों को अन्तरित करने में 14 से 701 दिनों का अनुचित विलम्ब हुआ। एक मामले में तो यह देखा गया कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कलकत्ता स्थित शाखा से अन्तरित 1.16 करोड़ रु. के क्रेडिट में 244 दिन लगाए। कम्पनी ने अधिक से अधिक 100 कार्यालयों से केन्द्रीय संग्रहण लेखे में अन्तरित निधियों के विलम्बित क्रेडिट की बाबत 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के लिए बैंकों से 34.96 लाख रु. की राशि का दावा किया। जबकि मंत्रालय ने बताया कि भा रि बैं ने बो बोइपोरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर अन्तरणों के विलम्बित क्रेडिट के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने की बाबत वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें दी हैं कम्पनी दावित 34.96 लाख रु. में से केवल 5.37 लाख रु. वसूल कर सकी।

विद्यमान प्रणाली के अनुसार, ब्याज के लिए दावा क्रेडिट के प्रधान कार्यालय संग्रहण लेखे में दर्शाए जाने के बाद ही किया जाता है। प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1993) कि निधियों के प्रधान कार्यालय में प्राप्त होने के समय तक सम्बन्धित डिवीजनों द्वारा किए गए अन्तरणों से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता क्योंकि कुछ डिवीजने उनको संग्रहण लेखे से किए गए अन्तरणों की जानकारी नहीं देते हैं। यह भी बताया (नवम्बर 1993) कि बैंकों द्वारा दी गई हिदायतों के अननुपालन को स्पष्ट करने के लिए क्षे का और प्र का में नियंत्रण कार्यप्रणाली विद्यमान है और यह कि विलम्ब के पिछले मामलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की जाती है। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि चार मामलों में बैंकर अपने अधिशेष शेषों को स्थायी हिदायतों के अनुसार अन्तरित नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप डिवीजनों में भारी संचय हुआ और प्रधान कार्यालय स्तर पर निवेश के अवसर की हानि हुई। परिणामतः 0.96 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

17.2 वित्तीय स्थिति

31 मार्च 1994 तक पांच वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति का सार नीचे दिया गया है:-

(लाख रु. में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
देयताएं					
प्राधिकृत पूंजी					
प्रदत्त पूंजी	2590	4000	4000	4000	4000
बीमा निधियां	33279	41232	54743	60568	68999
अन्य आरक्षित निधियां	32283	38660	47746	56418	73865
ला एवं हा लेखा शेष	6187	6601	7883	14443	17948
बकाया दावों के लिए अनुमानित देयताएं	44776	57158	71782	84780	98508
अन्य बीमा कम्पनियों को देय रकम	10814	8953	12873	17528	15770
अन्य देय	34501	32319	42136	53070	60099
जोड़	**164430**	**188923**	**241163**	**290807**	**339189**
परिसम्पत्तियां					
निवल नियत परिसम्पत्तियां	3259	3361	3404	3648	3029
चालू परिसम्पत्तियां	45331	41434	55220	72058	70690
निवेश	85066	101654	124442	160509	197235
कर्जे	30774	42474	58097	54592	68235
जोड़	**164430**	**188923**	**241163**	**290807**	**339189**

कुल परिसम्पत्तियां में 31 मार्च 1990 की तुलना में 31 मार्च 1994 में लगभग 2.06 गुना बढ़ गई।

17.3 अनुपात विश्लेषण

1993-94 तक पिछले पांच वर्षों के लिए विभिन्न वित्तीय संकेतक जैसे लाभ नकदी अनुपात आदि सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण किया गया है।

लीवरेज एक ऐसी प्रणाली है जो सामान्यतया किसी कम्पनी के निवल मूल्य और उसके समग्र क्रियाकलाप की स्थिति के बीच के सम्बन्ध को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है और इसे निवल मूल्य और निवल प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिकलित किया जाता है। यह उसकी ऋणशोधन क्षमता को मापता है। जितना लीवरेज अधिक होता है, उतनी ही शोधनक्षमता अधिक होती है। नकदी अनुपात पूंजी की हानि किए

बिना कम्पनी की परिसम्पत्तियों के साथ देयताओं को अदा करने के लिए उसकी योग्यता को दर्शाता है।स्वाम्य अनुपात स्वाम्य निधियों और कुल परिसम्पत्तियों के बीच सम्बन्ध को दर्शाता है:-

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1. लाभ अनुपात	203.21%	202.99%	193.71%	206.30	216.30%
2. नकदी अनुपात	1.79 गुना	1.89 गुना	1.31 गुना	1.84 गुना	1.38 गुना
3. स्वाम्य अनुपात	22.93%	24.27%	23.21%	24.40%	27.01%
4. निवल प्रीमियम लाभ अनुपात	17.76%	15.89%	15.77%	25.68%	26.78%
5. इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	18.81%	17.45%	16.59%	22.33%	21.12%
6. कुल परिसम्पति अनुपात पर प्रतिफल	6.15%	5.98%	6.16%	9.25%	9.46%

17.4 प्रबन्धन का व्यय

बीमा नियमावली 1939 के नियम 17 ड के साथ पठित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40-ग में सामान्य बीमा कारबार में प्रबन्धन व्यय की कतिपय सीमाएं निर्धारित करती है। विहित सीमा से अधिक आधिक्य 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान 2116 लाख रु. 354 लाख रु. और 22 लाख रु. था। कम्पनी पिछले दो वर्षों में विहित प्रतिमानों के भीतर वास्तविक प्रबन्धन व्यय पर नियंत्रण रख सकी थी।

18. आन्तरिक लेखापरीक्षा

18.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा व सभी अनुषंगी विभागों के निरीक्षण विभाग के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए सा बी नि द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट (जनवरी 1986) में अन्य बातों के साथ सुझाव दिया था कि आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों को धीरे-धीरे अधिकारी-उन्मुख बनाया जाना चाहिए ताकि उनमें कुछ अंश तक परिपक्वता लाई जा सके जो व्यवहारिक दृष्टिकोण, अनुभव तथा हैसियत के लिहाज से आवश्यक है और जो संतुलित तथा उपयोगी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उस पर चर्चा करने तथा भविष्य के लिए उपाय सुझाने के लिए अपेक्षित है। यद्यपि कम्पनी की सिफारिशों को सभी कम्पनियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथापि यह कम्पनी अभी आंतरिक लेखापरीक्षा को पूर्ण रुप से अधिकारी-उन्मुख नहीं बना पाई है। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 1995) कि जब कभी अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे तभी सम्पूर्ण विभाग चरणों में अधिकारी-उन्मुख बन सकता है।

18.2 प्रणाली और कार्यविधिक चूकों के अलावा भारी मोद्रिक मूल्य (50,000 रु. से अधिक) वाले मामले अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक बोर्ड को सूचित किए जाते हैं। बोर्ड स्तर पर उठाए गए प्रश्नों की समीक्षा लेखापरीक्षा उप समिति जो उस समीक्षा के बाद निर्देश जारी करती है, द्वारा की जाती है। 31 मार्च 1994 को 2271.25 लाख रु. सहित आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 50,000 रु. से अधिक मूल्य के 1174 मामले निपटान के लिए लम्बित थे। मंत्रालय ने बताया कि 31 मार्च 1993 को बकाया 830 मामलों में से 100 मामलों, जिसका मोद्रिक मूल्य 329.26 लाख रु. था, को बन्द कर दिया गया है।

18.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा बीमांकन और दावों की तथा कतिपय विशेष संव्यवहारों की समय समय पर प्रबन्धन द्वारा सौंपे गए जांच-कार्य के अतिरिक्त प्रणाली लेखापरीक्षा, प्रेरक लेखापरीक्षा और वित्तीय लेखापरीक्षा जैसी विशेष लेखापरीक्षा करता है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा को कम से कम एक वर्ष में एक बार सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा करनी होती है।

19. प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प्र सू प्र)

19.1 यद्यपि विकास प्रचालनों और निवेश से सम्बन्धित विवरणियां प्रधान कार्यालय में आवधिक रुप से प्राप्त की जाती हैं परन्तु उन पर तत्काल निर्णय करने की कोई आन लाइन सूचना प्रणाली नहीं है। पुनर्बीमा और स्थापना विभागों द्वारा प्रबन्धन को कोई विवरणियां प्रस्तुत नही की जाती हैं। प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1994) कि आन लाइन सिस्टम केवल तभी लागू किया जा सका जब कम्प्यूटरीकरण के सभी चरणों को कार्यान्वित किया गया था और संशोधित समझौता ज्ञापन पर सम्बन्धित ट्रेड यूनियनों से हस्ताक्षर करवाए गए थे। तत्समय, यह बताया था कि विभिन्न चरणों वाले कम्प्यूटरीकरण के केवल दो चरणों को पूरा किया गया था।

19.2 कम्प्यूटरीकरण

कम्पनी ने नवम्बर 1986 में चरणबद्ध तरीके से डिवीजन कार्यालय स्तरतक सभी कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण करना प्रारम्भ किया। कम्प्यूटरीकरण प्रयास (i) दस्तावेजों का तत्काल निर्गम और दावों का निपटान सुनिश्चित करने (ii) बीमा सुरक्षा और जोखिम प्रबन्धन में विशेषज्ञ सलाह देने (iii) निर्णय करने के लिए विश्वसनीय और सही सूचना मुहैया कराने के लिए डाटा बेस तथा प्र सू प्र तैयार करने की बाबत बताया जाना था।

प्रणाली के कार्यान्वयन की कार्यचालन योजना में समय समय पर और 1990 में संशोधन किया गया था, सा बी नि ने बीमांकन, लेखाओं और दावों के कार्यान्वयन की बाबत संशोधित लक्ष्य तारीखें क्रमशः 1 अक्तूबर 1991, 1 अप्रैल 1992 और 1 अक्तूबर 1992 नियत की थीं।

कम्पनी अभी तक 729.89 लाख रु. के पूंजीगत व्यय के अलावा 236.62 लाख रु. का कुल राजस्व व्यय कर चुकी है परन्तु कार्यान्वयन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि कम्पनी ने फ्रंट लाइन आफिस कम्प्यूटरीकरण के रुप में 25 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत (मार्च 1995) किया है।

(रमेश चन्द्र)

नई दिल्ली — उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं

दिनांक: — अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

(सि.जि. सोमैया)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

अनुबन्ध-I (देखें पैरा 1.1)

कम्पनी में समामेलित तत्कालीन बीमाकर्ताओं की सूची

1. आनन्द इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
2. भामा मरीन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
3. कामनवेल्थ एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
4. हावड़ा इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
5. इंडियन मर्चेंट मरीन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
6. इंडियन वोसेन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
7. जलनाथ इंश्योरेंस लिमिटेड
8. कल्यान मरीन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
9. लिबर्टी इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
10. मदर इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
11. मोटर ओनर्स इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
12. नरहरि मरीन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
13. नारनजी भानाभाई एंड कम्पनी लिमिटेड
14. न्यू मर्चेंट्स इंश्योरेस कम्पनी लिमिटेड
15. न्यू प्रीमियर इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
16. नार्दर्न इंडिया जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
17. पोरबंदर इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
18. प्राची इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
19. श्री महासागर बीमा कम्पनी लिमिटेड
20. साउथ इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
21. वैनगार्ड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

अनुबन्ध -II (देखें पैरा 4.1)

संगठनात्मक ढांचा

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

महा प्रबन्धक	महा प्रबन्धक	महा प्रबन्धक	महा प्रबन्धक		
सहायक महा प्रबन्धक	सहायक महा प्रबन्धक	सहायक महा प्रबन्धक	सहायक महा प्रबन्धक	वित्तीय सलाहकार	मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रबन्धक

उप प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक

प्रशासन अधिकारी

सहायक प्रशासन अधिकारी

अनुबन्ध -III (देखें पैरा 6.5)

राजस्व हानि के ब्यौरे

	मण्डल कार्यालय का नाम	बीमाकृत का नाम	पालिसी अवधि	राशि (लाख रु. में)
1.	बम्बई 120100	मै. टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक	1990-91	19.81
2.	नई दिल्ली 310100	मै. सिद्धार्थ स्लीपर स्प्रिंग	1987-89 & 1990-91	8.30
3.	मद्रास 710300	मै. स्पिक लिमिटेड	1988-89	1.66
4.	बम्बई	मै. जैनिथ केम लिमिटेड	1989-90	1.62
5.	अहमदनगर	विभिन्न	1990-91	0.54
6.	मुजफ्फरपुर	मै. बिहार राज्य चीनी कम्पनी लिमिटेड	1987-88	0.19
7.	मद्रास 710700	स्टेन्डर्ड मोटर्स लिमिटेड	1988-89	1.37
		जोड़		33.49

अध्याय -IV (देखें पैरा 11.1)

31 मार्च को कम्पनी के विदेशी नेटवर्क के ब्यौरे

(क) अपनी शाखाओं के माध्यम से

1.	बैंकाक	2.	हिरोशिमा	3.	हांगकांग	4.	लाबासा
5.	लौटाका	6.	लंदन	7.	मनीला	8.	नागोया
9.	ओकायामा	10.	ओसाका	11.	पोर्ट लुइस	12.	सापोरो (मारीशस)
13.	सूवा	14.	सिडनी	15.	टोक्यो	16.	गीफू

(ख) सहायक तथा सहयोगी कम्पनियों के माध्यम से

1. दी प्रेस्टिज एश्योरेंश कम्पनी (नाइजीरिया) लिमिटेड
   (पूर्व में न्यू इंडिया एंश्योरेंश कम्पनी (नाइजीरिया) लि. के नाम से ज्ञात)
2. न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी (घाना) लिमिटेड
3. न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लिमिटेड
4. न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी (सीरा लिओन) लिमिटेड
   (सहायक कम्पनी) लिबेरिया में शाखा सहित

(ग) एजेंसियों के माध्यम से

1.	आबूधाबी	2.	अरुबा (नीदरलैण्ड एन्टिल्स)	3.	बहरीन
4.	क्यूराकाओं (एन ए)	5.	दुबई	6.	जेद्दाह (सऊदी अरब)
7.	कुवैत	8.	अल खोबार (सऊदी अरब)	9.	मस्कट
10.	पेरिस (1992 तक)	11.	रियाध (सऊदी अरब)	12.	टोरंटो

अनुबन्ध -V (देखें पैरा 13.6)

पोर्ट फोलियों वार संचयी निवेश के ब्यौरे

श्रेणी	राशि 1985	कुल निवेश से %	राशि 1986	कुल निवेश से %	Amount 1987	कुल निवेश से %	Amount 1988 89	कुल निवेश से %	राशि 1989 90	कुल निवेश से %	राशि 1990 91	कुल निवेश से %	राशि 1991 92	कुल निवेश से %	राशि 1992 93	कुल निवेश से %	राशि 1993-94	कुल निवेश से %
1. केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां	150.06	26.13	170.04	24.77	182.54	23.67	210.57	22.10	229.53	20.30	280.70	19.77	318.59	17.81	367.61	16.93	475.20	17.94
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियां ओ.ए.एस./ऋण/ सा.क्षे.उ. के बाण्ड	55.81	9.72	59.84	8.72	75.25	9.76	102.86	10.80	125.89	11.13	154.38	10.87	183.71	10.27	235.95	10.86	256.78	9.70
3. सामाजिक आवास कार्यक्रम के लिए और अग्निशमन उपकरणों की खरीद के लिए राज्य सरकार के ऋण																		
4. हुडको एवं दि वि प्रा को ऋण तथा भारत सरकार को विशेष जमा	143.48	24.99	183.84	26.78	234.43	30.40	289.20	30.35	351.28	31.07	417.21	29.39	469.35	26.24	570.54	26.27	761.71	28.76
5. बाजार क्षेत्र (क) इक्विटी शेयर	95.01	16.55	102.04	14.87	114.52	14.85	138.52	14.54	172.21	15.23	190.88	13.45	56.09] 215.71]	15.20	77.12] 315.53]	18.08	419.56 81.17	18.91
(ख) अधिमान शेयर	11.25	1.96	10.63	1.55	10.51	1.36	11.01	1.16	11.02	0.97	11.63	0.82	10.42	0.58	10.72	0.49	10.73	0.4
(ग) डिबेंचर	61.02	10.63	82.96	12.09	95.10	12.33	119.43	12.54	141.69	12.53	161.03	11.34	195.09	10.91	268.04	12.34	285.74	10.79
(घ) बी आर एस																		
(ड.) बैंकों में सावधि जमा	35.28	6.14	44.65	6.50	28.69	3.72	49.73	5.22	60.52	5.35	143.23	10.09	270.37	15.11	246.83	11.36	275.20	10.4
(च) ऋण	27.28	3.89	32.40	4.72	30.09	3.90	31.42	3.30	38.50	3.41	60.64	4.27	69.11	3.86	79.54	3.66	82.27	3.1
	574.19		686.40		771.13		952.74		1130.64		1419.70		1788.44		2171.88		2648.36	

(करोड़ रु. में)

अनुबन्ध -VI (देखें पैरा 13.9)

31.3.1994 तक आवास तथा अग्नि शमन उपकरणों के लिए राज्यों को आबंटित ऋण

आवास

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि (रूपये)	प्रास्थिति क्रम	वास्तविक बकाया (रूपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.18	1	30.15
2.	उत्तर प्रदेश	22.09	3	17.04
3.	उड़ीसा	14.79	4	12.13
4.	कर्नाटक	13.37	5	10.96
5.	मध्य प्रदेश	11.99	6	18.95
6.	हरियाणा	6.47	9	4.98
7.	केरल	22.58	2	20.38
8.	पश्चिम बंगाल	10.99	7	9.41
9.	बिहार	9.76	8	8.41
10.	राजस्थान	3.27	11	2.08
11.	जम्मू एंड कश्मीर	2.70	12	2.21
12.	गुजरात	2.30	13	0.98
13.	दि.वि.प्रा.	1.65	15	1.09
14.	पंजाब	1.36	16	1.20
15.	मेघालय	1.07	17	0.36
16.	गोवा	4.84	10	4.50
17.	हिमाचल प्रदेश	0.95	18	0.57
18.	त्रिपुरा	1.97	14	1.74
19.	असम	0.70	19	0.52
20.	नागालैण्ड	0.45	20	0.34
21.	मणीपुर	0.15	21	0.11

22.	सिक्किम	0.10	22	0.64
	हुडको	182.70	--	135.06
	जी आई सी गृह वित्त	39.00	--	25.87

अग्निशमन

1.	पश्चिम बंगाल	10.50	1	7.43
2.	उत्तर प्रदेश	6.70	2	4.15
3.	मध्य प्रदेश	5.06	4	2.92
4.	केरल	5.19	3	3.22
5.	राजस्थान	3.53	6	2.15
6.	उड़ीसा	3.85	5	3.32
7.	गुजरात	2.79	8	0.67
8.	बिहार	2.64	9	1.90
9.	असम	3.20	7	2.28
10.	जम्मू एंड कश्मीर	2.48	11	1.55
11.	महाराष्ट्र	2.75	10	1.82
12.	मेघालय	1.19	14	0.55
13.	हरियाणा	1.40	13	1.35
14.	मिजोरम	0.50	16	0.37
15.	नागालैड	0.51	15	0.37
16.	हिमाचल प्रदेश	0.48	17	0.19
17.	त्रिपुरा	0.36	18	0.13
18.	मणीपुर	0.34	19	0.14
19.	आन्ध्र प्रदेश	1.50	12	1.40
20.	कर्नाटक	1.50	12	1.50
21.	तमिलनाडु	1.50	12	1.40

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
v/ii	3	कम्पनी लि., दि युनाइटेड	कम्पनी लिमिटेड, दि ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि., दि युनाइटेड
	6	कम्पनी	कम्युनिटी
	पृष्ठ xi को पृष्ठ ix के स्थान पर तथा पृष्ठ ix को पृष्ठ xi के स्थान पर पढ़ा जाए ।		
x	4 नीचे से	क्षेत्र में निर्धारित	क्षेत्र में निवेशों को निर्धारित
2	1	बीमा घनत्व	बीमा घनत्व (अमरीकी डालर में)
4	2 नीचे से	4449.44 करोड़ रु.	4449.44 करोड़ रु. (1993-94)
6	अन्त में	—	(नियमित योजना में शामिल न की गई अवधि)
16	5 नीचे से	पालिसी जारी की	पालिसी जारी की (फरवरी 1992)
21	9	2720 लाख रु.	2720 लाख
25	3	20 वर्ष	20 प्रतिशत
30	10 नीचे से	40,394,737 रु. डालर	40,394,737 डालर
32	तालिका पंक्ति 3 कालम 4	384.37	384.73
33	2	(1994)	(जनवरी 1994)
33	तालिका के ऊपर	(करोड़ रु. में)	(लाख रु. में)
40	9 नीचे से	आशमित	आशयित
40.	13	निर्णय	निर्धन
59	6	(स्रोत) (स्रोत)	-----